PAR 340
DATE 21.6.65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session

सत्यमेव जयते

Preservation ... Parliament Library
27-5-92
Fumigated On 26.12.83
6

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 9—शनिवार, 27 फरवरी, 1965 / 8 फाल्गुन, 1886 (शक)

	पृष्ठ
सामान्य आय-व्ययक, 1965–66—प्रस्तुत	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	737
वित्त विधेयक, 1965—पुरःस्थापित	766

CONTENTS

No. 9—Saturday, February 27, 1965/Phalguna 8, 1886 (Saka) PAGE

General Budget, 1965-66—presented

Shri T. T. Krishnamachari . . . 737

Finance Bill, 1965—introduced 766

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 27 फरवरी, 1965/8 फाल्गुन 1886 (शक)
Saturday, February 27, 1965/Phalguna 8, 1886 (Saka)

लोक-सभा सायं पांच बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Seventeen of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य आय-व्ययक, 1965-66
GENERAL BUDGET, 1965-66

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का 1965-66 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । इस अवसर पर, जो स्वाधीन भारत का एसा पहला अवसर है जब हमारे प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू इस कार्यवाही में मौजूद नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे उनका अभाव खटक रहा है और मुझे विश्वास है कि हम सब की भावना भी यही है । इसलिये, माननीय सदस्यों की अनुमति से, उनकी पुण्य स्मृति में अपनी तुच्छ श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरान्त मैं अपना भाषण प्रारम्भ करूंगा । स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद सत्रह वर्ष की लम्बी अवधि तक जवाहरलाल नेहरू, भारतीय मंच पर अपना प्रभाव डालते रहे और एक राष्ट्र के रूप में हमारी महत्वाकांक्षाओं को सार्थक और साकार बनाते रहे। हमा रे जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं है—चाहे उसका सम्बन्ध देश की एकता से हो या उज्वल भविष्य के लिए आर्थिक आयोजन से अथवा राष्ट्रों के बीच शान्ति और सद्भाव बनाये रखने से—जिस पर उनकी असंदिग्ध प्रतिभा की छाप न पड़ी हो । बजट और आर्थिक नीति जैसी दुनियावी बातों को भी ऐसे ऊंचे धरातल पर पहुंचा दिया गया जहां वे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से युक्त समृद्धि के समुज्वल लक्ष्य की ओर प्रगति करने के साधन बन गये । अब हमारा, मेरे नेता प्रधान मंत्री, मंत्रि मण्डल के उनके सहयोगियों और निश्चय ही माननीय सदस्यों और देश के बाकी सभी लोगों का काम है कि हम सब अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार जवाहर लाल नेहरू की परम्परा को आगे बढ़ायें । और मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि जो बजट मैं पेश करने जा रहा हूं उससे कुछ सीमा तक इस दायित्व की पूर्ति हो सकेगी ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

2. कई दृष्टियों से इस वर्ष के बजट का असाधारण महत्व है। चालू आयोजना-अवधि का अन्तिम बजट होने के कारण यह तीसरी आयोजना की पूर्ति में हमारे प्रयत्नों की पराकाष्ठा का प्रतीक है। साथ ही, यह पहले से अधिक जटिल और सांसारिकता से ओत-प्रोत तथा वास्तव में कठिन उन कार्यों की भूमिका का भी द्योतक है, जो हमें चौथी आयोजना में पूरे करने हैं। माननीय सदस्य अब जान चुके हैं कि चौथी आयोजना के सम्बन्ध में हमारे प्रारम्भिक विचार क्या हैं। विकास सम्बन्धी हमारी आयोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति करने के अलावा बजट सम्बन्धी नीति ऐसी होनी चाहिये कि जो तात्कालिक समस्याएं हर साल हमारे सामने उपस्थित होती हैं उन पर उसका असर पड़े। आर्थिक स्थिति की उन खास-खास बातों के सम्बन्ध में, जिनके कारण हम पिछले साल चिन्ता में पड़ गये—जैसे कि बढ़ते हुए मूल्य, निवेश के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की कठिनाइयां और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में तेजी से होने वाली कमी—मैंने इस सभा में समय-समय पर वक्तव्य दिये हैं। पिछले वर्ष की भांति, आर्थिक समीक्षा भी बजट से कुछ दिन पहले ही प्रकाशित कर दी गई है और उस हद तक आज का मेरा काम कुछ हलका हो गया है। अतएव, चालू वर्ष के लिए बजट सम्बन्धी परिणाम का जो अनुमान अब किया गया है उसे मैं तत्काल ही बता रहा हूं।

3. जबट में कुल 97 करोड़ रुपये की अपूरित कमी का अनुमान किया गया था। अब जान पड़ता है कि इस कमी में कुछ और घटती हो जायगी और कुल रकम लगभग 80 करोड़ रुपया रहेगी। कई दिशाओं, राजस्व और पूंजी दोनों में, खर्च में भारी वृद्धि होते हुए भी ऐसा सम्भव हो सकता है। विस्थापितों की सहायता और पुनर्वास पर 12 करोड़ रुपया अधिक खर्च हुआ है। महंगाई भत्ते की वृद्धियों के कारण इस साल खर्च में 38 करोड़ रुपये की बृद्धि हुई है। पूंजी खाते में, रासायनिक खादों की पहले की अपेक्षा अधिक खरीद और भारतीय खाद्य निगम के लिए और अधिक धन की व्यवस्था के अलावा, मुख्यतः अर्थोपाय सम्बन्धी अग्रिमों के कारण, राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों, और पंचवर्षीय आयोजना सम्बन्धी योजनाओं, खासकर कृषि, सिंचाई और बिजली सम्बन्धी योजनाओं के लिए पहले से अधिक केन्द्रीय सहायता दिये जाने के कारण 85 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई है। किन्तु अन्य मदों के अन्तर्गत खर्च में कमी होने और राजस्व-संग्रह में वृद्धि होने से ये अतिरिक्त परिव्यय प्रतिसन्तुलित (बराबर) हो गये हैं। केन्द्रीय पूंजी परिव्यय में हुई कमी का सम्बन्ध मुख्यतः इस्पात के संयंत्रों, रक्षा और खाद्य सामग्री की खरीद पर किये गये वास्तविक परिव्यय से है। खर्च में हुए परिवर्तनों का ब्योरा, पहले की ही तरह, ब्याख्यात्मक ज्ञापन में दे दिया गया है।

4. सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत राजस्व-संग्रह में 49 करोड़ रुपये की वृद्धि और आय तथा निगम करों के अन्तर्गत 66 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। उत्पादन शुल्क सम्बन्धी प्राप्तियों के उतनी ही रहने का अनुमान है जितनी बजट में दिखलायी गई थीं। राजस्व-व्यय में 42 करोड़ रुपये की कमी के साथ-साथ, जो कई शीर्षकों में बंटी हुई है, अब राजस्व-अधिशेष 229 करोड़ रुपया, रहने का अनुमान है, जबकि बजट में 83 करोड़ रुपये का अनुमान किया गया था।

5. पूंजी प्राप्तियों के अन्तर्गत, इस वर्ष छोटी बचतों के अन्तर्गत उत्साहवर्धक संग्रह हुआ है और अनुमान है कि उनकी रकम 135 करोड़ रुपये तक पहुंचेगी, जबकि बजट अनुमान 125 करोड़ रुपये का था। लेकिन बजट अनुमानों की तुलना में, सरकार के पास जमा रेलवे निधियों (रेलवे फण्ड्स) में कमी हुई है और विदेशी ऋणों से होने वाली प्राप्तियों में भी 43 करोड़ रुपये की कमी होने की सम्भावना है।

6. माननीय सदस्य देखेंगे कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए—जिनका जिक्र मैंने अभी ही किया है, जैसे कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि, विस्थापितों का पुनर्वास और राज्यों को सहायता—अतिरिक्त और भारी आवश्यकताओं के होते हुए भी चालू वर्ष का सम्पूर्ण घाटा मूल अनुमान से कुछ कम रहेगा। अंशतः इस से हमारे उन प्रयत्नों की सफलता का पता चलता है जो हमने, पिछला बजट पेश होने के बाद, खर्च में कमी करने के लिए किये थे। अन्य प्रकार से परिस्थिति कठिन होते हुए भी, सारे घाटे का कम हो जाना कुछ सन्तोष का विषय है। किन्तु अर्थव्यवस्था में मुद्राबाहुल्यकारी दबावों के होते हुए, अपव्ययपूर्ण और परिहार्य व्यय पर नियंत्रण रखने और किये गये परिव्ययों से अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करने की अब भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी। केवल इसी मार्ग से हमें शीघ्रतापूर्ण आर्थिक विकास और देश तथा विदेश सम्बन्धी वित्तीय स्थिरता की अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

7. माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी गया होगा कि इस वर्ष राजस्व अधिशेष के पिछले वर्ष के राजस्व-अधिशेष से भी अधिक रहेगा। किन्तु समूची अर्थव्यवस्था की स्वस्थता और स्थिरता के लिए जो बात वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है सम्पूर्ण स्थिति जिसमें राजस्व और पूंजी खाते दोनों शामिल हैं। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में जिसमें आयोजना सम्बन्धी परिव्यय बराबर बढ़ते जा रहे हैं, पूंजीगत बजट को केवल स्वेच्छापूर्ण बचतों के संग्रह और विदेशी सहायता से ही सन्तुलित नहीं रखा जा सकता। राजस्व सम्बन्धी अधिशेष द्वारा प्राप्त जनता की बचत की रकमों से इनकी अधिक से अधिक पूर्ति की जानी चाहिए। अतएव, इस वर्ष का भारी राजस्व अधिशेष उचित दिशा में ले जाने वाला प्रयत्न है।

8. जहां तक अर्थव्यवस्था में विकास का सम्बन्ध है, कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में 1963-64 के मौसम में, उस से एक वर्ष पहले की कम उपज की अपेक्षा, थोड़ी वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष में इस बात की बहुत सम्भावना है कि अनाज और व्यापारिक फसलों की कुल उपज में वृद्धि होगी और वह भी काफी। यदि परिस्थितियां सामान्य होतीं, तो कृषि पदार्थों की उपज बढ़ने से, मूल्यों में जो बहुत अधिक चढ़ाव आया है वह घट जाता। किन्तु अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर मुद्रा-बाहुल्यकारी दबाव पड़ने और माल को सट्टे की भावना से दबा कर रखे जाने से मूल्यों में उतनी गिरावट नहीं आयी जितनी आनी चाहिए थी। राजस्व और मुद्रा विषयक जो उपाय हमने किये हैं और अब जो कर रहे हैं उनसे, मुझे आशा है, मूल्यों में उतनी सीमा तक गिरावट आ जायगी जितनी आर्थिक दृष्टि से उचित है। फिर भी हम इस बात की सावधानी रखेंगे कि अनाज की खरीद के लिए हमने जो अभिकरण स्थापित किये हैं वे मूल्यों को उन स्तरों पर बनाये रखेंगे, जो किसान के लिए लाभदायक होंगे, जिससे उसे और अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसके साथ ही, ये अभिकरण सम्भरण (सप्लाई) के सुधार से लाभ उठाकर संकट की स्थिति से बचने के लिए अनाज के भण्डार तैयार रखेंगे, ताकि भविष्य में कृषिजन्य पदार्थों की उपज में किसी तरह की घट-बढ़ होने पर वे स्थिति का पहले की बनिस्बत ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

9. पिछले दो वर्षों से औद्योगिक उत्पादन में 8 से 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही है। चालू वर्ष की पहली छमाही में उत्पादन की गति में धीमेपन के कुछ लक्षण दिखायी दिये थे। किन्तु चालू राजस्व वर्ष की दूसरी छमाही में औद्योगिक उत्पादन के पूर्वस्थिति में आ जाने की आशा है और इस तरह पूरे वर्ष के उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। कृषि पदार्थों की उत्पादन-वृद्धि को मिलाकर, 1963–64 की अपेक्षा––जब राष्ट्रीय आय में वास्तविक रूप में अनुमानतः लगभग $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि हुई––1964–65 में अर्थ-व्यवस्था के विकास का अनुपात अधिक होना चाहिए।

10. अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में, जैसे इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, सूत-कताई आदि में, उत्पादन में और अधिक वृद्धि नयी क्षमता की स्थापना पर निर्भर होगी। सरकारी क्षेत्र में इस्पात, मशीनों का निर्माण, रासायनिक खाद के उत्पादन आदि के विस्तार-कार्यक्रम प्रगति कर रहे हैं और इनसे आगे के दो तीन सालों में उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। भारतीय उद्योग अब ऐसी मंजिल पर पहुंच गया है जहां से वह विकास की नयी तथा संमिश्र दिशाओं में फैल सकता है और उसे फैलना चाहिए भी। क्षमता के जिस विस्तार की आवश्यकता हमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में है वह न सिर्फ जमे हुए उद्योगों में होनी चाहिए, बल्कि उस से भी अधिक नये नये उद्योगों में, जहां पूंजी और तकनीकी अनुभव की बड़ी आवश्यकता है। निवेश (इन्वेस्टमेंट) के लिए लाभ की रकमों का और अधिक उपयोग करने को प्रोत्साहन देने और गैर-सरकारी उद्योग को पहले की अपेक्षा अधिक ऋण देने के लिए हमने बहुत से उपाय किये हैं। इसी तरह पहले से भी अधिक व्यक्तिगत बचतों के निवेश को प्रोत्साहन देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्तिगत नागरिक औद्योगिक विकास में ज्यादा-से-ज्यादा हाथ बटा सके। जो नयी वित्तीय संस्थाएं हमने स्थापित की हैं, वे जानकारी फैलाकर और दूसरे उपायों से––ताकि लोग इस बात का ज्यादा अच्छा निर्णय कर सकें कि उन्हें किस तरह के उद्योग में अपना पैसा लगाना चाहिए––इस काम में सहायता पहुंचा सकती है। लेकिन इस दिशा में सबसे पहले उद्देश्य व्यक्तिगत बचतों की शक्ति को बढ़ावा देना और उद्योग के काम में सुधार करना होना चाहिए, ताकि उद्योग कमाई कर सके और लगायी गयी पूंजी के लिए आकर्षक लाभ दे सके।

11. उद्यम चाहे सरकारी हों या गैर-सरकारी उनके संचालन में कुशलता बहुत कुछ समुचित मूल्य-निर्धारण नीतियों पर निर्भर है। एक तरफ उद्योगों द्वारा दुर्लभ साधनों और सामग्रियों के लिए दिये जाने वाले मूल्यों से उनकी वास्तविक दुर्लभता प्रकट होनी चाहिए जिनका वे इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उद्यमों द्वारा बनायी गयी वस्तु के लिए जो मूल्य लिये जायं उनसे, उपभोक्ता का शोषण किये बगैर, उद्योग को अपने विस्तार के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिएं। इन्हीं सामान्य सिद्धांतों के आधार पर हम कृषिजन्य वस्तुओं के लिए एक मूल्य ढांचा तैयार करने की चेष्टा कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादनों के सम्बन्ध में भी, बनायी गयी वस्तुओं के मूल्यों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की अनुमति देते हुए, अर्थ-व्यवस्था में बचतों और विदेशी मुद्रा की दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए हमने पूंजी और आयातों के मूल्य में वृद्धि करने का यत्न किया है। कच्चे माल की लगातार तंगी और मल्यों के चढ़ाव के बावजूद मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने की नीति को, जिसे 1963 में आरम्भ किया गया था, पिछले बजट के बाद से आगे बढ़ाया गया है, खासकर इस्पात की वस्तुओं के सम्बन्ध में। हमने कई बुनयादी चीजों, जैसे कोयले के मूल्यों में भी समय समय पर आवश्यक सीमा तक वृद्धि की है।

12. उत्पादन क्षमता की वद्धि और मूल्य-निर्धारण की उपयुक्त नीति सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी गैर-सरकारी उद्योग के लिए। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में इस बात के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया था कि प्रायोजनाओं का चुनाव, लागत और लाभ का पूरा विचार करने के बाद, बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। प्रायोजनाओं का सतर्कतापूर्ण चुनाव, शीघ्रतापूर्ण क्रियान्विति, कुशलतापूर्ण कार्य-संचालन, मूल्य निर्धारण की उपयुक्त नीतियां और लगायी गयी पूंजी पर समुचित लाभ ये सभी शीघ्रतापूर्ण विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। इसी भाव से, हमें गहराई में जाकर आयोजनाएं बनाने की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। पहले से लगायी गयी पूंजी से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना आगे की प्रगति का सर्वोत्तम मार्ग है। स्थिति को सुदृढ़ बनाना और विस्तार करना, भूमि पर दृढ़ता से कदम डालना और नजर ऊंची रखना ये परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक लक्ष्य हैं।

13. यह कुछ सन्तोष का विषय है कि मुद्रा और ऋण के क्षेत्र में मुद्रा-वृद्धि की गति, जो 1963–64 में बहुत तेज थी, चालू वर्ष में कुछ कम हो गयी है। बैंकों द्वारा सरकार को दिये जाने वाले ऋण में इस वर्ष कुछ कम वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से, सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों का कुछ अंश रिजर्व बैंक को खरीदना पड़ रहा है। इस सीमा तक, लम्बी अवधि के लिए लिये गये हमारे ऋणों का एक अंश घाटे की वित्त-व्यवस्था का सूचक है, लोगों की ऐच्छिक बचतों के संग्रह का नहीं। यदि हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा-बाहुल्य की शक्तियों के प्रभाव की निश्चित रूप से कम करना है, तो इस प्रकार की घाटे की वित्त-व्यवस्था को भी आवश्यक रूप से कम किया जाना चाहिए, यहां तक कि बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस कारण हमें केन्द्र और राज्यों द्वारा भविष्य में ऋण लिये जाने के अपने कार्य-क्रम वास्तविक बचतों की प्राप्ति के यथार्थ अनुमान के आधार पर तैयार करने पड़ेंगे। साथ ही इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि छोटी बचतों के रूप में और बाजार प्रतिभूतियों (मार्केट सिक्योरिटी) की खरीद के रूप में लोगों से अधिक धन राशियां प्राप्त हों। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने पिछले वर्ष ब्याज की दरों को काफी हद तक बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। मेरा विचार है कि नयी श्रेणी के ऐसे अल्प-बचत-पत्र जारी करूं जिन पर ब्याज की दर मौजूदा दर से अधिक हो इन नये अल्प-बचत-पत्रों से प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर लगाया जायगा। वर्तमान बचत-पत्र भी, जिनके ब्याज पर कर नहीं लगाया जाता, जारी रखे जायेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि ऐसे बचत-पत्र जारी किये जायं जिन पर दिये जाने वाले ब्याज पर भले ही कर लगा दिया जाय, पर ब्याज की दर ऊंची हो, तो छोटी और मध्यम आय वाले लोगों को, जिनकी कर सम्बन्धी देनदारी कम या दरमियानी है, बचत करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

14. बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों में, अधिक कामकाज के चालू मौसम में, पिछले मौसम के इन्हीं महीनों की अपेक्षा, कुछ कम वृद्धि हुई है, लेकिन अधिक कामकाज के चालू मौसम के कई सप्ताह अभी बाकी हैं। मेरा अनुमान है कि रिजर्व बैंक ने दस दिन पहले जिन उपायों की घोषणा की है वे आगामी सप्ताहों में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की वृद्धि को सीमित रखने का काम करेंगे। बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ऋणों में इस वर्ष के कम कामकाज के मौसम में इतनी अधिक कमी होनी चाहिए कि सारे वर्ष में इन ऋणों में कुल उतनी ही वृद्धि हो जितनी बढ़ते हुए उत्पादन की आवश्यकता के लिए काफी हो। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में अब तक मुद्रा-वृद्धि वास्तविक उत्पादन की वृद्धि से अधिक हुई है। इस स्थिति को और आगे जारी नहीं रहने दिया जा सकता। भविष्य में बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जानेवाले ऋणों में होने

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

वाली वृद्धि को इतना सीमित रखना पड़ेगा, कि मुद्रा-उपलब्धि की वृद्धि उससे अधिक न हो जितनी उत्पादन की वृद्धि के वास्तविक अनुमान की दृष्टि से आवश्यक हो ।

15. राज्य सरकारों को भी देश में राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन को सुदृढ़ बना में महत्वपूर्ण कार्य करना है । कुछ राज्यों के अगले वर्ष के बजटों में, जो अब तक पेश हो चुके हैं, घाटा दिखलाया गया है । मेरा विचार है कि राज्य सरकारों से बातचीत करके यह निश्चित कर लूं कि राज्य सरकारों के काम, मुद्रा-बाहुल्य को रोकने की हमारी नीति के सामान्यतः अनुरूप हैं ।

16. माननीय सदस्यों को मालूम है कि देश में ऐसी आमदनी और सम्पत्ति होने के कारण, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता, मुद्रा-सम्बन्धी उचित प्रबन्ध कुछ समय से कठिन हो गया है । यही बेहिसाबी आमदनी और सम्पत्ति जो कर न अदा करने और मूल्य नियंत्रण के नियमों को तोड़ने से प्राप्त होती है, सट्टेबाजी और सामान्यतः माल तथा सम्पत्ति के मूल्यों के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है । तलाशियां लेने, नियमों को और ज्यादा कड़ाई से अमल में लाने और अधिक कठोर दण्ड देने आदि के जो उपाय हम कर चुके हैं उनके अलावा कुछ और भी ऐसे उपाय करने का मेरा विचार है जिन से मौजूदा बेहिसाबी आमदनी और सम्पत्ति के कारण होने वाली खराबियों को काफी हद तक कम किया जा सके और भविष्य में ऐसी आमदनी और सम्पत्ति प्राप्त करने की गुंजाइश और प्रलोभन कम हो जाय । मैं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करना चाहता हूं जिन से शहरी सम्पति में अत्याधिक धन लगाने के लिए बढ़ावा न मिले, क्योंकि यह सम्पत्ति अधिक उत्पादन कार्यों के लिए यथेष्ट साधन उपलब्ध होने में बाधक होती है ।

17. मैं ने 17 फरवरी, की सभा में जो वक्तव्य दिया था उस में मैंने विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी हमारी बहुत ही कठिन स्थिति का कुछ विस्तार से जिक्र किया था । उस अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसे मैं दोहराना नहीं चाहता । मैं केवल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से इतनी अधिक रकम निकाली गयी है कि अब यदि उस में से थोड़ी सी भी और निकालनी पड़ी, तो स्थिति चिन्ताजनक हो जायगी । इसलिये यह बहुत जरूरी है कि इस प्रारक्षित निधि की रकम में कुछ वृद्धि हो । हमने कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भर रहना बहुत कम कर दिया है । हाल के वर्षों में हमारा निर्यात भी कुछ सन्तोषजनक रहा है । फिर भी, चूंकि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की रकम बढ़ाना और विकासशील अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक आयात करना जरूरी है, इस लिए निर्यात में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता ज्यों-की-त्यों बनी हुई है ।

18. हमें मित्र देशों की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से काफी सहायता मिल रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हमारे विदेशस्थ मित्रों के प्रति उनकी सहायता के लिये, एक बार फिर आभार प्रकट करने में मेरा साथ देंगे । विश्व बैंक द्वारा संगठित भारत सहायता संघ ने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये पिछले वर्ष 10280 लाख डालर की और रकम देने का बचन दिया था । इस सहायता का काफी बड़ा अंश विशिष्ट प्रायोजनाओं से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि विदेशों से सामान्य सामग्री, संघटक (कम्पोनेण्ट) और फालतू पुरजे मंगाने के उद्देश्य से दिया गया है । इस प्रकार की सहायता शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी

हमारी वर्तमान कठिनाइयों में हमारे लिये विशेष महत्वपूर्ण है और मुझे पूरी आशा है कि अगले वर्ष हमें भारत सहायता संघ से जो सहायता मिलेगी उस में ऐसे प्रयोजनों के लिये और अधिक धन राशियां होंगी जिन से शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में तुरन्त सुधार हो सकेगा। भारत सहायता संघ से पृथक् हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल०—480 सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज और अन्य कृषि-पदार्थों के आयात के लिए उदारतापूर्वक सहायता मिली है। जो देश भारत सहायता संघ के सदस्य नहीं हैं उन्होंने भी हमें 1964 में अतिरिक्त सहायता दी है। अभी हाल में हमने सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से बोकारो के इस्पात के कारखाने के लिये एक करार किया है। अस्ट्रेलिया से 150,000 टन गेहूं का जो दान हमें मिला है और जिसकी घोषणा कुछ ही दिन पहले की गयी है उसका उल्लेख किये बिना भी मैं नहीं रह सकता। यह उदारतापूर्ण और सामयिक कार्य मेरे लिए विशेष सन्तोष का विषय है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह दो राष्ट्रमण्डल देशों के बीच बढ़ते हुये सहयोग का शुभ लक्षण है।

19. विदेशी सहायता के उपयोग की गति काफी बढ़ गई है और अब उसका उपयोग प्रायः उसी गति से हो रहा है जिस गति से नयी सहायता के बचन मिल रहे हैं। फिर भी चालू पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में जिस सहायता का बचन हमें मिला है उसका कुछ भाग आवश्यक रूप से चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए आगे ले जाया जायगा। हम इस समय इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि हमें चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। हमें आशा है कि हम मित्र देशों की सरकारों और संस्थाओं से हमारी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक सीमा तक पूरा करने के अग्रिम बचन प्राप्त करने के लिये अगले वर्ष ही बातचीत प्रारंभ कर देंगे। विदेशी सहायता के इस प्रकार के अग्रिम आयोजन के आधार पर ही, हम विकास के क्रम की बाधारहित रखते हुए चौथी पंचवर्षीय आयोजना को विश्वासपूर्वक प्रारंभ कर सकेंगे।

20. हम छोटे पैमाने पर अन्य विकासशील देशों की सहायता करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, हम अगले वर्ष नेपाल को अनुमानतः 8·5 करोड़ रुपये की सहायता और सिकिम और भूटान को 6·2 करोड़ रुपये की सहायता देंगे। हम ने कई अफ्रीकी देशों में चीनी, सूती कपड़े, सीमेंट और बनस्पति तेल आदि के कारखाने खोलने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने में सहायता पहुंचाने का भी प्रयत्न किया है। अगले वर्ष दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के देशों की तकनीकी सहायता के लिए 46 लाख रुपये की और संयुक्त राष्ट्र संघ के तकनीकी सहायता के परिवर्धित कार्यक्रम के लिए तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष प्रायोजना निधि में अंशदान देने के लिए 1·43 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का हमारा विचार है।

21. हमारी विकास सम्बन्धी आयोजनाओं में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी का क्या स्थान हो, इस विषय में हाल ही के महीनों में भारत में बहुत विचार-विमर्श

[श्री ति० त० वृष्णमाचारी]

हुआ है । हम काफी समय से इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मित्र देशों की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो सहायता मिल रही है उसके अत्यावश्यक पूरक (सप्लीमेण्ट) के रूप में ही नहीं, बल्कि हमारे देश में तकनीकी कुशलता और उद्यम का शीघ्रता से विकास करने के लिए भी गैर-सरकारी विदेशी पूंजी से महत्वपूर्ण योग मिल सकता है । इस कारण हम ने भारत के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सहयोग से गैर-सरकारी विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया है । निवश बढ़ाने के लिये हम ने भारतीय उद्यम को जो प्रोत्साहन और सुविधाएं दी हैं वे सभी गैर-सरकारी विदेशी उद्यम को समान रूप में प्राप्त हैं और हम विदेशी निवेशकों को लाभ की रकमें अपने देश में ले जाने की प्रत्येक सुविधा प्रदान करते हैं । उदारतापूर्ण और उचित व्यवहार की यह नीति भविष्य में जारी रहेगी । और हमारी सामान्य नीतियां—चाहे वे कर लगाने, उद्योगों के लिए लाइसेंस देने या मूल्यों का नियंत्रण करने के सम्बन्ध में हों—ऐसी होनी चाहियें जो उद्यम और गति के प्रत्येक सम्भाव्य स्रोत को—चाहे वह देशी हो या विदेशी, सरकारी हो या गैर सरकारी, शीघ्र आर्थिक विकास के कार्य में नियोजित करने की हमारी इच्छा से मेल खाती हों ।

22. चौथी पंचवर्षीय आयोजना की पूर्ति के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी रकमें पूंजी के रूप में लगानी पड़ेंगी । इसके लिए साधनों को जुटाने की पहली और सब से आवश्यक शर्त यह है कि वित्तीय और मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता का वातावरण बनाये रखा जाय । तभी अपनी इच्छा से पैसा बचाने के लिए बढ़ावा मिल सकेगा जिसे उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकेगा । इसी तरह कर लगाने की हमारी नीतियों में भी कुछ हद तक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है । मांग और संभरण (सप्लाई) की स्थिति के अनुसार अप्रत्यक्ष करों की दरों में प्रति वर्ष उपयुक्त परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है, किन्तु प्रत्यक्ष करों के ढांचे में अधिक मात्रा में स्थिरता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस का सम्बन्ध बचत और निवेश सम्बन्धी दीर्घ-कालीन निर्णयों से है । इस वर्ष के मेरे बजट प्रस्ताव इसी दृष्टि से तैयार किये गये हैं कि कम से कम उन से इस लक्ष्य की आंशिक पूर्ति तो हो ही सके । कम से कम मैं यह नहीं समझता कि अधिक साधन जुटाने की क्षमता समाप्त हो चुकी है । चौथी पंच-वर्षीय आयोजना के लिए साधन जुटाने के लिए जो भी व्यवस्था हमारे लिए जरूरी है, उसे, आयोजना का आरम्भ करने से पहले, उस के सभी आवश्यक उपादानों के साथ, स्थापित न करने का कोई कारण नहीं है ।

23. अन्ततः, यही निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र को, उपलब्ध होने वाले साधन, करों, बचत-संग्रह, या पर्याप्त लाभ की प्राप्ति के द्वारा उपलब्ध होने वाले साधन, सब एक ही कोष के अलग-अलग अंग हैं । हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि हम किसी खास स्रोत से तो अधिक-प्राप्ति कर लें और दूसरे स्रोतों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े या एक काम में अधिक साधन लगा दें और दूसरे कामों के अवशिष्ट साधनों पर इसका प्रभाव न पड़े

अधिक उत्पादन और खपत का नियंत्रण, अपव्यय का निवारण और दुर्लभ साधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग ये ही अन्ततः बचत और निवेश में वृद्धि करने के साधन हैं। इसलिए बजट-सम्बन्धी नीति, केवल या मुख्यतः आमदनी और खर्च को बराबर कर के दिखलाने की प्रक्रिया नहीं है। निःसन्देह यह बहुत ही आवश्यक है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा ही न लिया जाय या उसे निरापद सीमाओं के भीतर रखा जाय। पर जिस स्तर पर बजट संतुलित किया जाता है और जिस ढंग से यह सन्तुलन प्राप्त किया जाता है उस स्तर और उस ढंग का बचतों और निवेश से और समूची अर्थव्यवस्था की प्रगति से अधिक घनिष्ट सम्बन्ध है।

24. अगले वर्ष के बजट अनुमान, जिनका उल्लेख अब मैं करने जा रहा हूं, इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर बनाये गये हैं। राजस्व खाते से 2116 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 117 करोड़ रुपया अधिक है। करों की मौजूदा दरों के आधार पर, जिन में आयातित वस्तुओं पर लगने वाला 10 प्रतिशत का वह अधिभार (सरचार्ज) भी शामिल है जिस की घोषणा मैं ने दस दिन पहले की थी, कुल राजस्व 2353 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। इस तरह राजस्व-अधिशेष 237 करोड़ रुपया होगा, अर्थात् चालू वर्ष की अपेक्षा 8 करोड़ रुपया अधिक।

25. राजस्व-व्यय के कुल 2116 करोड़ रुपये के अगले वर्ष के खर्च में 749 करोड़ रुपया रक्षा-सेवाओं के लिए होगा। यह चालू वर्ष की अपेक्षा 32 करोड़ रुपया अधिक है। किन्तु रुपयों में किया जाने वाला वास्तविक व्यय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सामान और वायुयानों की खरीद, जिनकी कुल कीमत व्यय-अनुमान में शामिल कर ली गयी है, बिलम्बित अदायगी की शर्तों के आधार पर की जा रही है। असैनिक (सिविल) शीर्षकों के अन्तर्गत 1367 करोड़ रुपये खर्च होने का का अनुमान है, जो चालू वर्ष से 85 करोड़ रुपया ज्यादा है। यदि उन रकमों को जो पी० एल० 480--के अनुदानों के सम्बन्ध में विशेष विकास निधि को अन्तरित कर दी गयी हैं, हिसाब में न लिया जाय, तो असैनिक शीर्षकों के अन्तर्गत वास्तविक वृद्धि बहुत अधिक हो जायगी। वृद्धि के मुख्य भाग का कारण ऋण चुकाने के लिये 38 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को सहायक अनुदान देने के लिये 39 करोड़ रूपये की व्यवस्था, प्रशासनिक सेवाओं के लिए 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था, खासकर "पुलिस" शीर्षक के अन्तर्गत, और सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाओं के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

26. राजस्व में अगले वर्ष 125 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। यहां भी, अगर अपने आप सन्तुलित होने वाले पी० एल० --480 के अनुदानों को छोड़ दिया जाय, तो वास्तविक वृद्धि और भी अधिक होगी। पहले की तरह, अधिकांश वृद्धियां राजस्व के प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत हुई हैं; 70 करोड़ रुपया आय और निगम कर के अन्तर्गत, 54 करोड़ रुपया केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के अन्तर्गत और 20 करोड़ रुपया सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत। इस के अलावा

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उद्यगों से मिलने वाले व्याज और और रिजर्व बैंक के अतिरिक्त लाभों में 39 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी ।

27. पूंजी-परिव्यय (केपिटल आउट ले) , के लिए, जिस में राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को छोड़ कर दूसरे सभी ऋण शामिल हैं, 1114 करोड़ रुपये की व्यवस्था का अनुमान है, जो चालू वर्ष की व्यवस्था से 104 करोड़ रुपया अधिक है । इस का मुख्य कारण सड़कों के लिए 24 करोड़ रुपये की पहले से बड़ी व्यवस्था, अनाज की खरीद के लिए 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था, परमाणु-शक्ति के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था, रक्षा सेवाओं के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था और औद्योगिक विकास बैंक के लिए 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को ऋणों के रूप में 712 करोड़ रुपये दिये जाने का अनुमान है । यह रकम प्राय: चालू वर्ष की रकम के बराबर है । किन्तु आयोजना-सम्बन्धी सहायता के ऋणों की रकम 28 करोड़ रुपया अधिक होगी और अर्थोपाय (बेज ऐण्ड मीन्स) ऋणों की रकम उसी अनुपात में कम ।

28. अगले वर्ष केन्द्र और राज्यों का कुल आयोजना-परिव्यय (खर्च) 2225 करोड़ रुपया होगा, जो चालू वर्ष के बजट में दिखाये गये 1984 करोड़ रुपये के आयोजन-परिव्यय से 241 करोड़ रुपया अधिक है । राज्यों की आयोजनाओं का खर्च 1027 करोड़ रुपया और केन्द्रीय आयोजना का 1198 करोड़ रुपया होगा। राज्यों के कुल खर्च का 650 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता से और 377 करोड़ रुपया खुद राज्यों के साधनों से दिया जायगा । यह बात ध्यान देने योग्य है कि केन्द्रीय आयोजना आंशिक रूप से रेलों, डाक और तार विभाग, हिन्दुस्तान स्टील, और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के आन्तरिक साधनों, के 160 करोड़ रुपये से वित्त -पोषित की जायगी । इसलिए, इस सीमा तक केन्द्रीय सरकार के अनुमानों में धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है । बाकी 1688 करोड़ रुपये के लिए व्यवस्था जिस में से 300 करोड़ रुपया राजस्व खाते और राज्यों की सहायता का है, बजट में कर दी गई है । माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि रेलों, डाक और तार विभाग तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 160 करोड़ रुपये के अंशदान में, चालू वर्ष के अंशदान से 45 करोड़ रुपया अधिक है । जब गैर सरकारी क्षेत्र के और अधिक उद्यम उत्पादन करने लगेंगे और उन में अतिरिक्त लाभ होने लगेगा, तो बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना वे अर्थ व्यवस्था के विकास में और अधिक योग देने में समर्थ हो सकेंगे ।

29. इस आवश्यकता का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं कि सरकारी ऋणों को उतना ही रखना चाहिए जितना वास्तविक बचतों के आधार पर वे मिल सकते हों । इस सिद्धान्त के आधार पर मैं ने अगले वर्ष सरकारी ऋणों के लिए 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जब कि चालू वर्ष के लिए 293 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इसी कारण, छोटी बचतों से होने वाली प्राप्तियों को, चालू वर्ष

के स्तर पर, 135 करोड़ रुपया माना गया है । लेकिन विदेशी ऋणों से और भी अधिक प्राप्तियां होंगी और इनकी रकम 669 करोड़ रुपया रखी गयी है।

30. इस प्रकार अगले वर्ष की सम्पूर्ण स्थिति का सारांश यह है कि करों की मौजूदा दरों के आधार पर, राजस्व खाते में 237 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा । पूंजी खाते से किया जाने वाला 2094 करोड़ रुपये का कुल वितरण, जिस में, ऋण की अदायगी का 267 करोड़ रुपया शामिल है, राजस्व-अधिशेष के अलावा, 939 करोड़ रुपये के देशी और विदेशी ऋणों, छोटी बचतों से प्राप्त 135 करोड़ रुपये, ऋण की वापसी के 334 करोड़ रुपये, पी० एल०—480 निधि के 191 करोड़ रूपये के निवेश, वार्षिकी जमा-पत्रों के 65 करोड़ रुपये और "विविध ऋण और जमा" शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त 203 करोड़ रुपये से पूरा किया जायगा । सब मिला कर, माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई वर्षों में पहली बार, करों की मौजूदा दरों के आधार पर अगले साल के बजट में 10 करोड़ रुपये का थोड़ा-सा अधिशेष रहने का अनुमान है ।

31. माननीय सदस्य पूछ सकते हैं कि अगले वर्ष के लिए कुछ अधिशेष की घोषणा करने के बाद, मैं बजत को यों ही रहने दे कर अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठ जाता । किन्तु यह आवश्यक है, खासकर चौथी आयोजना से ठीक पहले, कि हम करों के सारे ढांचे पर अच्छी तरह से नज़र डालें और उस में ऐसा समन्वय अथवा परिवर्तन करें कि इच्छित लाभ होने लगे । और जो प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उन में मैंने यही करने का यत्न किया है ।

अप्रत्यक्ष कर

32. अप्रत्यक्ष करों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं: राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना और मूल्य-नीति के साधन के रूप में काम करना । जिन अप्रत्यक्ष करों का मुख्य उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है उनका सम्बन्ध न केवल राजस्व-सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से, बल्कि व्यक्तिगत नागरिक के बजट पर पड़ने वाले उस के प्रभाव की दृष्टि से किया जाना चाहिए । मैं सोचता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में, जब कि बढ़े हुए मूल्यों ने जनता के एक वर्ग पर बोझ डाल रखा है, उन क्षेत्रों में कुछ राहत पहुंचाने की आवश्यकता है जहां सम्भरण (सप्लाई) स्थिति ऐसी है कि हर कोई उचित रूप से यही आशा करेगा कि उपभोक्ता को राहत पहुंचारी जाय । साफ है कि राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बहुत अधिक राहत नहीं दी जा सकती । और न उन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष करों में कमी की जा सकती है जहां आयातों में कमी करने या आयातों के लिए पहले की बनिस्पत ज्यादा माल दिये जाने की की दृष्टि से चीजों की खपत पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ।

33. एक विकासशील अर्थ व्यवस्था में जहां विभिन्न स्तरों पर तंगी मौजूद हो, मूल्यों के ढांचे में बिगाड़ पैदा हो जाने की प्रवृत्ति आ जाती है । यह बात सभी को मालूम है कि जो वस्तुएं दुर्लभ सामग्री से बनायी जाती हैं, चाहे वह सामग्री

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

विदेशों से मंगायी जाती हो या देश में मिलती हो, उनकी बिक्री से बहुत ज्यादा नफा उठाया जाता है, और इस फालतू नफे को हस्तगत करने के लिए मैं विदेशों से मंगायी जाने वाली और देश में बनने वाली कुछ खास-खास चीज़ों के शुल्कों में वृद्धि करना चाहता हूं । प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने वालों में दुर्लभ सामग्री का वितरण करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है । इस व्यवस्था को हम मजबूत बनाना चाहते हैं । पर इस के साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि वितरण पर हमेशा ही उस हालत में पूरा-पूरा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। जिसमें सभी अन्तिम उपयोक्ताओं (एण्ड-यूज़र) की आवश्यकताओं को एक केन्द्रीय अभिकरण (एजेंसी) की मार्फत पूरा किया जाता हो । और न मूल्य-व्यवस्था से उस सीमा तक बचने का कोई कारण है, जिस सीमा तक वितरण व्यवस्था की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता हो । इसलिए जो कुछ करना मैंने आवश्यक समझा है वह यही है कि उन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर दी जाय जहां यह मूल्यों के ढांचे के मौजूदा बिगाड़ को ठीक कर सकती हों, और कुछ फालतू नफे को हस्तगत कर लूं। और इस व्यवस्था से जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो उसका उपयोग उपभोक्ता को उस सीमा तक राहत पहुंचाने में किया जाय जहां तक ऐसा करना सम्भव हो ।

34. अप्रत्यक्ष करों में रियायतें देने के मेरे प्रस्तावों का सम्बन्ध केवल उत्पादन शुल्कों से है । जूतों, साईकिल के हिस्सों (पार्ट्स), साइकिल-टायरों और ट्यूबों और पंजीकृत (रजिस्टर्ड) दैनिक समाचार पत्रों (जिनमें उनके साप्ताहिक संस्करण भी शामिल हैं) के प्रकाशन में इस्तेमाल किये जाने वाले छापने और लिखने के कागज पर से उत्पादन शुल्क हटा देने का मेरा विचार है। मटमैले (ग्रे) और परिष्कृत (प्रोसेस्ड) मोटे तथा दरमियानी सूती कपड़े की जिन किस्मों के मूल्य पर नियंत्रण लगा है उनके शुल्क की प्रभावी दरों में 50 प्रतिशत की कमी, बनास्पती (वेजिटेबिल प्राडक्ट) पर लगे शुल्क में 50 प्रतिशत की और छापने तथा लिखने के सस्ती किस्म के कागज और टाइप करने तथा अनेक प्रकार से काम में लाये जाने वाले कागज की कई दूसरी किस्मों पर लगे शुल्क में 30 प्रतिशत की कमी करने का विचार है। दूसरे कारणों से अपेक्षाकृत मोटे और तौल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों (डेमीर) वाले रेयन के तागे, सेलूलोज द्रव्य से बने रेशे और, सीमान्तिक रूप से, स्टेपल रेशे से बने तागे के शुल्क में भी कमी करने का मेरा प्रस्ताव है। बहुत ही कम राजस्व प्राप्ति के कारण कुछ और चीज़ों, जैसे कि रेशमी कपड़े, ग्रामोफोन, सिगारों और चांदी पर लगे शुल्कों को भी हटा देने का विचार है। इन कमियों से राजस्व में 1965-66 में 29·5 करोड़ रुपये की कमी हो जायगी ।

35. मैंने ये कमियां सामान्यरूप से उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क में की हैं, क्योंकि मुझे आशा है कि इसका लाभ उपभोक्ता अर्थात् इन वस्तुओं का उपयोग करने वाले को प्राप्त होगा। यदि यह आशा पूरी न हुई तो वर्ष के अन्दर ही शुल्कों को फिर से लागू करना जरूरी हो जायगा। इसीलिए प्रस्तावित कमियां शुल्क की सांविधिक (स्टेट्यूटरी) दरों में कमी करके नहीं, बल्कि सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करके की जा रही है।

36. उत्पादन शुल्क में रियायतें देने के लिए चीजों का चुनाव करते हुए मैंने मिट्टी के तेल (किरासिन) पर लगे शुल्क में कमी करने के सम्बंध में खास तौर से विचार किया है। लेकिन मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम मिट्टी के तेल पर लगे शुल्क में कमी न कर सकेंगे, क्योंकि बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों में से यह एक बहुत बड़ी मद है। इसके अलावा, इस समय भी, मिट्टी के तेल पर लगा शुल्क इतना कम है कि उससे लारियों में और गैर-घरेलू कामों के लिए इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है और इन्हीं कामों के लिए मिट्टी के तेल के और ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने से कोई लाभ न होगा।

37. इस अवसर से लाभ उठाकर मैं उत्पादन शुल्कों, मुख्यतः सिगरेटों और टायरों से सम्बन्ध रखने वाले शुल्कों में भी कुछ प्राविधिक समायोजन (टेक्निकल एडजस्टमेंट) कर रहा हूं। उत्पादन की वर्तमान प्रणाली के आधार पर इन परिवर्तनों से, सिगरेटों से प्राप्त होने वाले राजस्व में 40 लाख रुपये की और टायरों से प्राप्त होने वाले राजस्व में 35 लाख रुपये की वृद्धि होगी। मुझे विश्वास है कि सम्बद्ध उद्योग, इन चीजों के मूल्यों पर किसी तरह का सम्पूर्ण प्रभाव डाले बिना, इन छोटी-छोटी प्राविधिक वृद्धियों को बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने शुल्कगत वस्तुओं के प्रकार और छूट के परिमाण में कुछ और छोटे छोटे परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा है। राजस्व की दृष्टि से इन परिवर्तनों का विशेष महत्व नहीं है।

38. कई दुर्लभ सामग्रियों के वितरण और उनसे बनी वस्तुओं की बिक्री से अधिक लाभ उठाया जा रहा है, इसलिये उत्पादन शुल्कों में वृद्धियां करके इन वस्तुओं से होने वाले अतिरिक्त लाभ के कुछ अंश को मैं प्राप्त कर लेना चाहता हूं। कच्चे तांबे और मिश्र तांबे के उत्पादन-शुल्क को 300 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1,000 रुपया प्रति मेट्रिक कर देने और चक्कों (सर्किल) तथा चद्दरों (शीट) आदि के शुल्क को 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 1,500 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर देने का मेरा विचार है। इस्पाती डलों, प्लेटों और रेलों तथा स्लीपर की छड़ों के शुल्क में 10, रुपया प्रति मेट्रिक टन की, आधो-फिनिश की हुई चीजों और छड़ों-डण्डों (राड) और इमारती काम की लोहे की चीजों शुल्क में 15 रुपये प्रति मेट्रिक टन की, काली चद्दरों (ब्लैकशीट) और छल्लों (हूप) के शुल्क में 40 रुपये प्रति मेट्रिक टन की, ट्यूब बनाने की नरम इस्पाती पट्टियों (स्कल्प) के शुल्क में 50 रुपये प्रति मेट्रिक टन की, पट्टियों (स्ट्रिप्स) के शुल्क में 90 रुपये प्रति मेट्रिक टन की और जस्ती प्लेटों व चद्दरों के उत्पादन शुल्क में 100 रु० प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि कर देने का मेरा विचार है। टीन की प्लेटों और टीन की चद्दरों के प्रभावी शुल्क को 165 रु० से बढ़ा कर 225 रु० प्रति मेट्रिक टन कर देने का भी प्रस्ताव है। इस समूह पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि कर देने से 15·75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी।

39. सूती कपड़ा बनाने वाले बिजली के करघों के छोटे कारखानों के लिए निर्धारित थोक शुल्क की वर्तमान व्यवस्था को मैं और भी सरल बनाना चाहता हूं। बहुसंख्यक कारखानों को, जिनमें प्रत्येक में पांच से कम करघे हैं, जो कुल छूट मिलती है उसकी जगह 25 रुपया प्रति करघा प्रति वर्ष का थोड़ा सा थोक शुल्क लगाया जा रहा है। विखण्डन-विरोधी (एण्टी फ्रैगमेण्टेशन) अर्थात् कारखाने को टुकड़ों में बांटने की रोकथाम करने वाले उपबन्ध को भी नये सिरे से लिखा जा रहा है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

40. उत्पादन शुल्कों में इन सभी परिवर्तनों से 1965-66 में राजस्व में 13 करोड़ रुपये की वास्तविक कमी होगी।

41. उत्पादन शुल्कों से प्राप्त होने वाला राजस्व 1955–56 में 145 करोड़ रुपये था जो क्रमशः बढ़ते हुए 1964-65 में लगभग 773 करोड़ रुपये हो गया। यह कुछ सन्तोष की बात है कि कई वर्षों में पहली बार, कुल राजस्व में कोई खास कमी किये बगैर हम उपभोक्ता को कुछ राहत देने में समर्थ हुए हैं।

42. दस दिन हुए मैंने विदेशों से मंगायी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के 10 प्रति शत के बराबर का विनियमनकारी (रेगुलेटरी) सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की थी। वर्तमान परिस्थितियों में यह शुल्क जारी ही रहना चाहिये। इसके अलावा, कुछ मामलों में जहां जहाज से उतरते (लैण्डड) मूल्यों और मौजूदा बाजार दरों में भारी अन्तर है वहां मौजूदा दरों में वृद्धि करना आवश्यक है। इसलिये मैं स्टेनलेस स्टील की प्लेटों और चद्दरों के आयात शुल्क को मूल्यानुसार 30 प्रति शत से बढ़ा कर 100 प्रति शत और जहां प्रति मेट्रिक टन 20 रुपये की मौजूदा तरजीह लागू होती है वहां इसे जारी रखते हुए इस्पाती टीन की चद्दरों के शुल्क को 100 रुपया प्रति मेट्रिक टन धन (प्लस) 5 प्रति शत से बढ़ा कर 325 रुपया प्रति मेट्रिक टन कर देना चाहता हूं। यह भी प्रस्ताव है कि सेलुलोज रहित नकली रेशम (नान-सेलुलोजिक आर्ट सिल्क) के तागे और धागे के शुल्क को 7·5 रुपया प्रति किलोग्राम या 55 प्रतिशत से जो भी अधिक हो, बढ़ा कर 10·25 रुपये प्रति किलोग्राम या 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, कर दिया जाय। रंग लेप (पेण्ट), रंग (कलर) और रंगलेप सम्बन्धी वस्तुओं के, जिनका अन्यथा उल्लेख न हो, शुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोसल्फ़ाइट के शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत गंधसार तेलों और सुगंधित द्रव्यों के, जिनका अन्यथा उल्लेख न हो, शुल्क को 75 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत और कागज के जिसका अन्यथा उल्लेख न हो, पर जिसमें अखबारी कागज और छापने व लिखने का कागज शामिल नहीं है, शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर देने का मेरा विचार है। कपास के संविधिक (स्टेट्यूटरी) आयात शुल्क को बढ़ा कर 50 पैसे प्रति किलोग्राम कर देने का भी मेरा विचार है, ताकि साल के अन्दर जरूरत पड़ने पर, प्रभावी शुल्क में वद्धि कर सकूं। अधिभार सहित आयात शुल्कों की वृद्धियों से 1965-66 में 6·5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इसके अलावा, इस्पाती टीन की प्लेटों, लोहे और इस्पात की चीजों और ताबे के प्रतिसन्तुलनकारी (काउण्टर वेलिंग) शुल्क के परिणामस्वरूप राजस्व में 8 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। सीमा शुल्कों से कुल 14·5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

43. अप्रत्यक्ष करों में जो परिवर्तन होंगे उन्हें अस्थायी कर-संग्रह अधिनियम (प्रावीजनल कलेक्शन आफ टेक्सेज ऐक्ट) के अधीन तत्काल लागू किया जायेगा। सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क को मिला कर, इन परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि 1965–66 में राजस्व में 1·5 करोड़ रुपये की थोड़ी सी वृद्धि हो जायेगी।

निर्यात-प्रोत्साहन

44. माननीय सदस्यों को मालूम है कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कर-सम्बन्धी राहत देने के लिए इस समय कई व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सीमा शुल्क और केन्द्रीय

उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में जो राहत दी जा रही है वह शुल्क की वापसी के रूप में होती है। हमारी अर्थ व्यवस्था जैसी बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था में, जिसमें सब स्तरों पर कमी रहती है और उस कमी के कारण उत्पादन की लागत बढ़ती है—निर्यात-सम्बन्धी नये उद्योगों को जिन कठिनाइयों का अनुभव होता है उनका विचार करके हम इन उद्योगों को रेल भाड़े और लाभ पर कर लगाने के सम्बन्ध में भी कुछ राहत देते हैं।

45. हमारे निर्यात सम्बन्धी उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने के ये प्रयत्न निर्यात को बढ़ाने में कुछ सफल तो हुए हैं, पर निर्यात की जाने वाली, अन्तिम रूप से तैयार वस्तु के निर्माण के काम आने वाले कच्चे माल और संघटकों पर लगे हुए अन्य करों के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि निर्यात-सम्बन्धी उद्योगों को विभेद के आधार पर कुछ और सहायता दी जाय। आज भारत में बिक्री-कर और चुंगी जैसे बहुत से ऐसे कर लगाये जाते हैं जिनके सम्बन्ध में इस समय निर्यात के लिए कर से राहत नहीं दी जाती। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में जो कच्चा माल, संघटक और मध्यवर्ती पदार्थ काम आते हैं उन पर लगे हुए आयात-शुल्कों और उत्पादन-शुल्कों के कुछ अंश वापस करना कठिन है। सामान्यतः यह आवश्यक है कि निर्यात सम्बन्धी उन नये उद्योगों की कठिनाइयां कम की जायें। जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता की दृष्टि से अपनी स्थिति अभी पूरी तरह से दृढ़ करनी है। इसलिए मैं निर्यातकों को उनके निर्यात के मूल्य के 15 प्रतिशत भाग तक के कर-जमा-पत्र देने का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं। इस प्रकार की सहायता का ठीक-ठीक परिमाण विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग होगा और वह ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद निर्धारित किया जायेगा। कर-जमा-पत्र या तो करों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं या उनका मूल्य कर-सम्बन्धी दायित्व से जितना ज्यादा हो उतनी सीमा तक उनकी रकम नकदी के रूप में वापस की जा सकती है।

46. माननीय सदस्यों को मालूम है कि संरक्षण-आयात-शुल्क लगाकर विदेशी प्रतियोगिता से विकासशील देशों के नये उद्योगों की रक्षा करने की आवश्यकता को विशेषज्ञ और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण बहुत समय से मानते आये हैं। विकासशील देशों के नये निर्यात को सहायता पहुंचाने की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक है और उसका आधार भी वही है। यह विचार अर्थशास्त्रियों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि हम निर्यात से होने वाली कमाई के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने का अधिकार प्राप्त कर लें ताकि निर्यात को बढ़ाने के हमारे प्रयत्न अधिक प्रभावकारी और कुशलतापूर्ण हो सकें।

निगम कर

47. माननीय सदस्यों को पता है कि पिछले दो वर्षों से हमारे निगम करों के ढांचे में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। प्रधानतः साधनों में वृद्धि करने की सर्वोपरि आवश्यकता को देखते हुए ऐसा करने की आवश्यकता हुई थी। निगम करों की कठोरता को कम करने के लिए मैंने अपने पिछले बजट में बहुत से परिवर्तन किये थे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि भावना अब भी यही है कि भारत में निगम कर ऊंचे हैं और इनकी कुछ बातों से निगमित क्षेत्र (कारपोरेट सैक्टर) की प्रगति में बाधा पड़ती है। सांविधिक ग्रन्थ (स्टेट्यूट बुक) में दिये हुए विभिन्न करों के भार की मैंने सावधानी से छानबीन की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निगम करों के वर्तमान ढांचे में, उसकी अच्छी बातों में फेरबदल किये बगैर, कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, लाभांश कर (डिवीडेण्ड टैक्स) की बहुत अधिक आलोचना की गयी है। अब तक के अनुभव से यही प्रकट हुआ है कि इससे लाभांश के वितरण की प्रणाली में विशेष अन्तर नहीं आया। फिर भी, मैं यह सोचे बिना नहीं रह

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

सकता कि वर्तमान स्थिति में, जबकि हमें अर्थव्यवस्था से मुद्राबाहुल्यकारी प्रभाव को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना है और निगमित क्षेत्र में निवेश करने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने हैं, लाभांश-वितरण पर कुछ नियंत्रण बनाये रखने की आवश्यकता है। इसी तरह अतिकर, (सर-टैक्स) के पूरे प्रभाव को जांचने का हमें अब तक काफी समय नहीं मिल सका, इसलिए निगम कर के इस खास पहलू में ज्यादा फेरबदल करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी, मैंने निगम करों की सामान्य योजना में कई परिवर्तन करने का निश्चय किया है जिनसे, मुझे आशा है, निगमित क्षेत्र की कम से कम कठिनाइयां तो दूर हो ही जायंगी।

48. जो उद्योग वित्त अधिनियम, 1964 की प्रथम अनुसूची के भाग IV में उल्लिखित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन्हें कर सम्बन्धी कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। उस सूची में चूने के पत्थर, आग और टपकन को प्रभावहीन करने वाली मोटरों, पिटवां लोहे और इस्पात की ढली वस्तुओं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और जहाज़ों को जोड़ कर मैं उसे परिवर्द्धित करना चाहता हूं।

49. मैंने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि धारा 104 की जो कम्पनियां पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से वस्तुओं का निर्माण अथवा उपयोगीकरण करती हैं या खानों में खुदाई कराती हैं या बिजली बनाती या उसका वितरण करती हैं या बिजली सम्बन्धी अन्य कार्यों में संलग्न हैं और जिनकी सारी आमदनी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है उन्हें पहले 2 लाख रुपये की आमदनी पर 50 प्रतिशत के हिसाब से कर देना पड़ेगा। अब मैं इस रियायत के दायरे को बढ़ाना चाहता हूं। ऐसी सभी कम्पनियों पर—विदेशी कम्पनियों को छोड़कर—मेरे प्रस्ताव के आधार पर उनकी आमदनी के पहले 10 लाख पर 50 प्रतिशत के हिसाब से कर लगेगा, भले ही उनकी कुल आमदनी चाहे जितनी हो। 104 धारा के अन्तर्गत, कुछ किस्म की कम्पनियों पर, लाभ न बांटने की अवस्था में 37 प्रतिशत के हिसाब से दण्ड लगता है। मैं इस दर को, व्यापारिक कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए घटाकर 25 प्रतिशत कर देना चाहता हूं। जहां तक उत्पादन करने वाली कम्पनियों का सम्बन्ध है हमने उन्हें कुछ रियायतें दे रखी हैं ताकि वे पर्याप्त प्रारक्षित पूंजी खड़ी कर सकें। जो कम्पनियां व्यापार नहीं करती अर्थात् वे कम्पनियां जो आंशिक रूप से उत्पादन के क्षेत्र में काम करती हैं, वे कम्पनियां जो विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करती हैं और वे कम्पनियां जो इमारती कामों में लगी हुई हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूं कि लाभों के अनिवार्य वितरण के 90 प्रतिशत उच्चतर सांविधिक प्रतिशत को उसी दशा में लागू किया जायगा जब इक्ट्ठा हुआ लाभ और प्रारक्षित पुंजी, उनकी चुकता पुंजी और ऋण पूंजी या उनकी स्थायी परिसम्पत्ति के मूल्य के दुगनी से भी ज्यादा हो जायगी। अभी, जिस सार्वजनिक कम्पनी के 51 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर किसी दूसरी कम्पनी के पास होते हैं जिसमें जनता के काफी शेयर होते हैं या उस कम्पनी के होते हैं जो जों ऐसी कम्पनी को 100 प्रतिशत सहायक होती है, तो पहली कम्पनी को उस तरह की कम्पनी नहीं माना जाता जिसमें जनता के काफी शेयर हों। इस स्थिति में परिवर्तन करने और ऐसी कम्पनी को भी वैसी ही मानने का विचार है जिसमें जनता के काफी शेयर हों।

50. हमारे बहुत से बड़े-बड़े शहरों में भीड़-भाड़ का बढ़ना एक विकट समस्या बन गयी है। इसलिए ऐसे शहरों से बड़े-बड़े कारखानों को किसी दूसरी जगह चले जाने को प्रेरित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसलिए सार्वजनिक कम्पनियों के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इन शहरों में जमीन और इमारतों की बिक्री से जो पूंजीगत लाभ हो उसका कर उसी सीमा तक वापस कर दिया जाये जिस

सीमा तक किसी नये क्षेत्र में जमीन और इमारतों पर, जिनमें कर्मचारियों के रहने के मकान भी शामिल हों, पहले से सरकार की मंजूरी लेकर, पूंजी लाभ कर को फिर से लगाया जाय ।

51. मैंने पिछले साल बताया था कि मैं आयकर अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी छूट की दर में संशोधन करना चाहता हूं । माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि विकास सम्बन्धी छूट की सामान्य दर सामान्य अब 20 प्रतिशत है । सुझाव दिया गया है कि यह छूट खास-खास चीजों के लिए दी जानी चाहिये । और हमने कुछ सीमा तक खानों से कोयले की खुदाई करने की मशीनों और जहाज़ों के सम्बन्ध में ऐसा करने का यत्न किया है । अब मेरा प्रस्ताव है कि विकास छूट की प्रतिमानित दर में 15 प्रतिशत की कमी कर दी जाय जो उन उद्योगों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो आयकर अधिनियम की नयी पांचवीं अनुसूची में शामिल हैं । इस अनुसूची के उद्योगों को 25 प्रतिशत की विकास छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा । कोयले की खुदाई के काम आने वाली मशीनों और जहाज़ों के सम्बन्ध में यह छूट क्रमशः 35 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के हिसाब से जारी रहेगी । लेकिन जिन प्रतिष्ठानों के लिए अब इस दर में कमी की जा रही है वे भी 31 मार्च 1967 तक मौजूदा 20 प्रतिशत का लाभ उठाते रहेंगे ।

52. अकसर कहा जाता है कि कम्पनियों पर लगने वाले आयकर और अतिकर का कुल भार बहुत ऊंचे स्तरों तक पहुंच जाता है जिससे निवेश रुक जाता है । मैं नहीं समझता कि बात ऐसी ही है, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का भ्रम दूर करने के लिए आयकर, बोनस-निर्गमों सम्बन्धी कर को छोड़कर, किन्तु लगाये गये गये कर को मिलाकर--सामान्य शेयरों के लाभांश के वितरण को ध्यान में रखते हुए--और अतिकर की अधिकत सीमा को, कम्पनियों की कुल आमदनी का 70 प्रतिशत रखने का मेरा विचार है इस सीमा से आगे कर सम्बन्धी देनदारी की कुल रकम में जो भी अधिकता होगी उसे अतिकर में से बाद में दे दिया जायगा, जो अन्यथा कम्पनी पर आरोपणीय होती है । यह व्यवस्था भारतीय कम्पनियों और किसी भी उस कम्पनी पर, जिसमें जनता के काफी शेयर होंगे, लागू होगी जो अपना लाभांश भारत के अन्दर घोषित करेगी

53. निगमित क्षेत्र सम्बधी करों में जिन विभिन्न परिवर्तनों की रूप रेखा मैंने बतायी है उनसे कुछ सीमा तक इस क्षेत्र की वास्तविक कठिनाइयों में कमी हो सकेगी । उत्पादन की गति में तेज़ी लाने और उद्योग के विस्तार के लिए साधनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने का मेरा विचार है । राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, राजस्व के वर्तमान स्रोतों का त्याग कर मैं ऐसा नहीं कर सकता । किन्तु वर्तमान निवेशों से हुई राजस्व-वृद्धि के कुछ अंश को औद्योगिक विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने और पहले से अधिक उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के काम में लाया जा सकता है । इसलिए मैं यह व्यवस्था करने के लिए अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं कि किसी भी उत्पादक इकाई (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) द्वारा जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उसके उस उत्पादन पर दिया जाये, जो आधार वर्ष (बेस ईयर) में उसके द्वारा किये गये उत्पादन के अतिरिक्त हो उसके लिए उस उत्पादक इकाई को दिये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर कर-जमा-पत्र (टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट) दिये जायें । इसी तरह मैं यह व्यवस्था करने के लिए भी अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं कि किसी भी उत्पादक कम्पनी द्वारा, अतिकर को मिला कर जो निगम कर उसके द्वारा आधार वर्ष में दिये गये तुल्य कर

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

से अधिक मात्रा में दिया जाय उसके लिए अधिक मात्रा के 20 प्रतिशत के बराबर के कर-जमा-पत्र दिये जायं । इस पर सम्बद्ध वर्ष के सम्पूर्ण कर के 10 प्रतिशत की सीमा और लागू की जायगी । इन जमा-पत्रों का उद्देश्य यही है कि इन का उपयोग उद्योग के विस्तार से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए अर्थात् डिबेंचर ऋणों की अदायगी के लिए या स्वीकृत संस्थाओं से लिये गये ऋणों की अदायगी के लिए किया जाय ।

54. सरकार ने हाल ही में एक चाय वित्त समिति की स्थापना की थी और उस समिति ने चाय कम्पनियों पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर में राहत देने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों को संशोधित रूप में स्वीकार कर लेने का मेरा विचार है और आवश्यक उपबन्ध वित्त विधेयक में शामिल कर लिये गये हैं ।

55. जो कम्पनियां अपने कमचारियों में परिवार-नियोजन के हेतु अदायगियां करने का खर्च उठायेंगी उन के इस वर्ष की आमदनी की रकम से घटा देने की अनुमति देने का मेरा विचार है । जहां यह खर्च पूंजी की तरह का होगा वहां इसे पांच वर्ष की अवधि में आमदनी की रकम से घटा देने की अनुमति दी जायगी ।

व्यक्तिगत कर

56. अब मैं व्यक्तिगत करों के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा । माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैं अपने भाषण में, शहरी सम्पति में, जिस के मूल्य में कई कारणों से बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, अत्यधिक निवेश को नियंत्रित करने की आवश्यकता का उल्लेख कर चुका हूं । इस तरह के नियंत्रण के बिना अधिक उत्पादक कार्यों के लिए निवेश को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता । यह मांग भी की जाती रही है कि शहरी सम्पति के विपुल संग्रह पर कोई अधिकतम सीमा लागू की जानी चाहिए । मैं ने इस समस्या पर कई दृष्टियों से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी राजस्व विषयक व्यवस्था के माध्यम से इस समस्या से निपटने का सब से अच्छा रास्ता यही है कि इस प्रकार की सम्पत्ति पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर लगाया जाय। यह कर एक लाख या इस से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की सम्पति पर लागू होगी। विभिन्न आकार के शहरों की सम्पत्ति के मूल्यों में अन्तर होने के कारण मैंने 1 लाख और चार लाख के बीच, 4 लाख और 8 लाख के बीच, 8 लाख और 16 लाख के बीच, और 16 लाख से ऊपर की जन संख्या वाले शहरों के लिए छूट की अलग-अलग ही सीमाएं निर्धारित करने की व्यवस्था की है । यह छूट इन श्रृंखलाओं के सब से छोटे शहर के लिए 2 लाख रुपये से ले कर सब से बड़े शहर के लिए 5 लाख रुपये तक अलग-अलग होगी । माननीय सदस्य देखेंगे कि इस प्रयोजन के लिए शहरों का जो वर्गीकरण मैंने अपनाया है वह वही है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पूरक और दूसरे भत्ते देने के उद्देश्य से पहले से मौजूद है । मेरे प्रस्ताव के अनुसार, जो शहरी सम्पत्ति छूट की इन सीमाओं से अधिक मूल्य की होगी उस पर बढ़ती हुई दरों के हिसाब से अतिरित सम्पत्ति कर लगेगा । ये दरें ऐसी सम्पत्ति के कुल बाजार भाव के क्रमिक खण्डों पर एक प्रतिशत से चार प्रति शत तक बढ़ती जायेंगी। अभी मेरे लिये इस बात का बिल्कुल सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं कि इस मार्ग से कितना राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन 1965-66 के लिये मैं अतिरिक्त प्राप्ति की रकम को 1.5 करोड़ रुपया

कूत रहा हूं । यहां मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि इस कर का जितना उद्देश्य राजस्व-प्राप्ति है उतना ही व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी । हो सकता है कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सम्पत्ति के स्वामी अपनी सम्पति को निगमित संस्थाओं में अन्तरिम करने लगें जिन पर अभी सम्पति कर नहीं लगता या फिर सम्पति-स्वामिनी (प्रापर्टी ओर्गेनिग) कम्पनियां खड़ी होने लगें । यदि ऐसी प्रवृत्ति पैदा हुई, तो सरकार उचित अवसर पर उस सम्बन्ध में भी कार्रवाई करेगी ।

57. नयी औद्योगिक कम्पनियों ने सामान्य शेयरों में पैसा लगाने के लिए सम्पति कर (वेल्थ टैक्स) की अदायगी से छूट देने की व्यवस्था को मैं फिर पांच वर्ष के लिए जारी कर रहा हूं । यह रियायत उन्हीं कम्पनियों को मिलेगी जो 28 फरवरी 1965 के बाद पहली बार पूंजी जारी करेंगी । जो कम्पनियां बोनस शेयर जारी करती हैं वे इन शेयरों के प्रत्यक्ष मूल्य पर 12 1/2 प्रतिशत कर देती है । स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति, उसके नाम जारी किये गये बोनस शेयरों पर पूंजी-लाभ कर (कैपिटल गेन्स टैक्स) देता है, तो उन्हीं शेयरों पर कम्पनी द्वारा दिये गये कर का कुछ अंश पूंजी-लाभ-कर-सम्बन्धी उसकी देनदारी को कम करने में लगना चाहिये। इसलिए, मैं ऐसे शेयरों पर दिये जाने वाले पूंजी-लाभ-कर में, बोनस शेयरों के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत की छूट देना चाहता हूं जो इस कर की रकम तक सीमित होगी।

58. व्यक्तिगत आमदनियों पर लगने वाले करों के सम्बन्ध में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि करों के ढांचे को सरल बनाया जाये। एक कारण तो यही है कि आयकर और अधिकर (सुपर-टैक्स) का अंतर कालनिरूपण सम्बन्धी एक भ्रम है और आज कल जिस तरीके से हम विभिन्न कटौतियों की अनुमति देते हैं वह भी न तो सरलता की दृष्टि से ठीक है और न वास्तविक भार को समझने की दृष्टि से । अधिकर को आय कर में मिला कर और दूसरे तरीकों से भी मैंने करों के सारे ढांचे को सरल बनाने का यत्न किया है । इस थोड़े समय के लिए राज-कोषीय प्राप्तियों में कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन इस से कर सम्बन्धी प्रशासन में सुधार हो सकेगा और करों की देनदारी के सम्बन्ध में साधारण कर दाता के रूख में परिवर्तन आयेगा ।

59. बुनियादी तौर पर मैं ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करना चाहता हूं जिस में आय-कर के प्रयोजन के लिए मौजूदा निर्बाध छूट बन्द हो जायगी और इस तरह, अन्य बातों के साथ-साथ, अविवाहित स्त्री, और अविवाहित पुरुष के विरुद्ध बरता जाने वाला जबर्दस्त अन्तर मिट जायेगा । भविष्य में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2000 रुपये की व्यक्तिगत छूट और विवाहित व्यक्ति के लिए 1500 रुपये की अतिरिक्त छूट और अधिक से अधिक दो आश्रित बच्चों के लिए, प्रत्येक आश्रित बच्चे पर 400 रुपये की छूट के अधीन, आमदनियों पर कर लगाया जायेगा । इस तरह जिस विवाहित व्यक्ति के दो आश्रित बच्चे होंगे उसे 4300 रुपये की आमदनी तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा, जब कि अभी यह सीमा 4000 रुपये है । व्यक्तिगत छूटों के आधार पर, नयी दर के हिसाब से, छूट की रकम वही 215 रुपये की पूर्ण राशि होगी जो सभी निर्धारितियों (एसेसीज़) के लिए अधिकतम राशि होगी । इस सरलीकरण से 3.64 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

60. सरलीकरण के क्षेत्र में जो दूसरा परिवर्तन मैं करना चाहता हूं उसका सम्बन्ध भविष्य निधि, बीमे के प्रीमियमों और बढ़नेवाली मियादी जमा योजना (क्यूमुलेटिव टाइम डिपाजिट स्कीम) के लिए किये जाने वाले अंशदानों से सम्बन्ध रखने वाली कमियों से है। इन मदों सम्बन्धी रियायतों की मुद्रा सीमा को व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये करने के अलावा अंशदान के रूप में रियायती मदों में दी गयी रकम की 50 प्रतिशत आमदनी में सीधी कमी करके रियायत देने का विचार है। मुझे विश्वास है कि इस में व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर की देनदारी का हिसाब लगाने में सरलता हो जायेगी। असमर्थ आश्रितों की संस्थागत (इंस्टिट्यूशनल) देखरेख के सम्बन्ध में 2400 रुपये तक की आमदनी को करमुक्त रखने के लिए मैं एक नयी व्यवस्था भी जारी कर रहा हूं। असंस्थागत (नान-इंस्टिट्यूशनल) देख रेख के सम्बन्ध में यह सीमा 600 रुपये होगी। माननीय सदस्य इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि सामाजिक कारणों से इस सम्बन्ध में कुछ राहत देना उचित है।

61. करों के ढांचे में सरलता लाते हुए और मौजूदा करों के स्थान पर एक संशोधित तथा एकीकृत अनुसूची जारी करते हुए मैंने व्यक्तिगत आमदनी के सभी स्तरों पर करों में कमी की है। नयी अनुसूची में, उन अर्जित (कमायी हुई) आमदनियों के लिए कर की उच्चत्तम सीमान्तिक (मार्जिनल) दर 65 प्रतिशत होगी जो 70,000 रुपये से अधिक होगी। इसके साथ ही अर्जित आमदनी के अधिभार (सरचार्ज) का भी पुनर्वर्गीकरण किया गया है और उसके अनुसार यह 1 और 2 लाख के बीच की आमदनी के लिए 5 प्रति शत, 2 और 3 लाख के बीच की आमदनी के लिए 10 प्रति शत और 3 लाख से ऊपर की आमदनी के लिए 15 प्रतिशत रखा गया है। हमारी कर-निर्धारण योजना में, हम 15,000 रुपये की आमदनी को, विभिन्न उद्देश्यों से, विभाजन रेखा मानने लगे हैं। उदाहरण के लिए, वार्षिकी जमा योजना (एनुइटी डिपाजिट स्कीम) 15,000 रुपये तक की आमदनियों के लिए लागू नहीं होती। मैंने यह भी निश्चय किया है कि अनर्जित (बिना कमायी) आमदनी के कर-अधिभार के उद्देश्य से इस सीमा को उन्मुक्त सीमा (फ्री लिमिट) माना जाना चाहिये। अतएव इस प्रयोजन के लिए मौजूदा सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपया कर देने का विचार है। इस व्यवस्था से और साथ ही सामान्य रूप से कर की दरों में कमी हो जाने से अनर्जित आमदनी के कर-अधिभार का आधार नीचा हो जाने से, अनर्जित आमदनियों पर लगने वाले अधिभार में वृद्धि करने की आवश्यकता जान पड़ती है। तदनुसार, 15,000 रुपये और 50,000 रुपये के बीच की अनर्जित आमदनियों पर 20 प्रतिशत की दर से और 50,000 रुपये से अधिक की ऐसी आमदनियों पर 25 प्रति शत की दर से कर-अधिभार लगाने का मेरा विचार है।

62. वित्त-विधेयक (फाइनेंस-बिल) बहुत बड़ा दिखायी दे रहा है, क्योंकि इसमें आयकर अधिनियम, 1961 के अनेक संशोधन किये गये हैं। मुख्यत: इसकी आवश्यकता, करों के ढांचे का सरलीकरण करने की इस योजना को क्रियात्मक रूप देने के लिए पड़ी है। लेकिन ये संशोधन स्थायी ढंग के हैं, इसलिए इन्हें आगे के वित्त-विधेयकों में दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

63. जैसा कि मैंने अभी ही बताया है प्रस्तावित परिवर्तनों से, व्यक्तिगत आय के सभी स्तरों पर, कर में कमी हो जायगी। अनर्जित आय सम्बन्धी उच्चतम सीमान्तिक दर 88.125 प्रति शत से घट कर 81·25 प्रति शत और अर्जित आय सम्बन्धी दर 82.5 प्रतिशत से घटकर 74.75 प्रतिशत रह जायगी, अर्थात अर्जित आय पर 3 लाख रुपये से अधिक की आमदनी और अनर्जित आय पर 70,000 रुपये से

अधिक की आमदनी पर सबसे ऊंची दर पर कर लगेगा । दो आश्रित बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये की अर्जित आय का कर 60 रुपये से घटकर 35 रुपये, 10,000 रुपये की अर्जित आय का 685 रुपये से घटकर 535 रुपये, 20,000 रुपये का 2,360 रुपये से घटकर 2,085 रुपये, 40,000 रुपये का 10,340 रुपये से घटकर 9,285 रुपये, 70,000 रुपये का 26,590 रुपये से घटकर 23,585 रुपये और 1 लाख रुपये का 44,615 रुपये से घटकर 39,160 रुपये रह जायगा । यह हिसाब, आपेक्षिक वार्षिकी जमा के कर सम्बन्धी लाभ को दृष्टि में रख कर लगाया गया है । इन कमियों के बावजूद हमारे कर की दरें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की आमदनी के तुल्य स्तरों की अपेक्षा ऊंची ही बैठेंगी । फिर भी, भारत में व्यक्तिगत करों के स्तर को घटाकर दूसरे देशों के स्तर के बराबर न लाने के लिए मैं खेद-प्रकाश नहीं कर रहा क्योंकि भारत और अमेरिका में आमदनी के समान स्तर का अर्थ पूर्ण कल्याण का समान स्तर नहीं है । इसका अर्थ सम्पूर्ण समाज में समान आपेक्षिक स्थिति तो और भी नहीं है । भारत जैसे देश में एक या दो लाख की आमदनी से आर्थिक शक्ति प्रकट होती है जो उस आर्थिक शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसका उपभोग अधिक भाग्यशाली देशों में इसी आमदनी के लोग करते हैं ।

64. कर की दरों में कमी और अधिभारों में परिवर्तन होने से पूरे वर्ष में राजस्व में 20.69 करोड़ रुपये की कमी होगी । 1965–66 में करों के अग्रिम संग्रह के सम्बन्ध में सभी तरह के प्रत्यक्ष करों में 15 करोड़ रुपये की और भी कमी होगी । फिर भी मुझे पूरी आशा है कि जो परिवर्तन मैंने किये हैं उनसे आमदनी के निचले और दरमियानी समूहों के व्यक्तियों को कुछ राहत तो मिलेगी ही, साथ ही व्यक्तिगत बचतों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा और करों की अदायगी से बचने का क्षेत्र और प्रलोभन कम हो जायगा ।

65. जिन बड़े-बड़े परिवर्तनों का ब्यौरा मैंने पहले दिया है उनके अलावा, आयकर के उपबन्धों में मैं कुछ अन्य परिवर्तन भी करना चाहता हूं । नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सामान्य शेयरों में व्यक्तिगत रूप से पैसा लगाने वालों को कर-जमा-पत्र देने भारत में लाये और बैंकों में अनिवासी (नान-रेजीडेण्ट) खातों में जमा किये गये धन से हुई आमदनी के ब्याज को कर-मुक्त रखने और सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को अनर्जित आय सम्बन्धी अधिभार से मुक्त रखने के अपने उद्देश्य की घोषणा मैंने 24 दिसम्बर को की थी । इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक में व्यवस्था कर दी गयी है । यह प्रस्ताव भी है कि दानों पर दी जाने वाली छूट उन रकमों के लिए भी दी जाय जो सार्वजनिक पूंजी के स्वीकृत स्थानों के नवीकरण के लिए दी जांय और इस प्रकार के दानों को दानकर से मुक्त कर दिया जाय । प्रस्ताव है कि वार्षिकी जमा योजना के सम्बन्ध में जो वार्षिकी प्राप्त हो उसे अर्जित आय माना जाय ।

66. उन विदेशी तकनीशनों के लिए, जिन के ठेके सरकार द्वारा मंजूर किये गये हैं, कर की मौजूदा रियायत तीन साल के लिए है और जहां कर की अदायगी मालिक द्वारा की जाती है वहां साथ में दो वर्ष की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) भी है । कुछ उद्योगों और कृत्रिम प्रक्रियाओं के लिए ऐसे तकनीशिनों की सेवाओं को और भी ज्यादा अवधि के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए प्रस्ताव है कि सरकार की अनुमति से दो वर्ष की दूसरी अवधि को तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है । बढ़ायी हुई अवधि में भी कर की अदायगी मालिक द्वारा, कर पर कर दिये बगैर की जा सकती है ।

67. पेशेवर लोगों, जसे कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट, वास्तुशिल्पी (आर्कीटेक्ट) और सालीसिटरों के अभिवेदन (रेप्रेजेंटेशन) प्राप्त हुए हैं कि उन्हें भी करों में छूट दी जाय, ताकि वे किसी वार्धक्य-

(श्री ति० त० कृष्णमाचारी)

निवृति (सुपरएनुएशन) योजना के लिए कुछ व्यवस्था कर सकें। इस की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मैं उन फर्मों के साझेदारों को, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट, वास्तुशिल्पी, सालिसिटर और वकीलों का पेशा करते हैं, उन रकमों के सम्बन्ध में कर की राहत देना चाहता हूं जो किसी स्वीकृत वार्षिकी योजना के अन्तर्गत जीवन वार्षिकियां खरीदने पर खर्च की जांय और यह खरीद बड़ी हुई उम्र में शुरू की जाये। यह राहत उस रकम के लिए भी दी जायगी जो निवृति-लाभ (रिटायरमेण्ट बेनिफिट) की व्यवस्था करने वाली किसी स्वीकृत निधि में उनके द्वारा दी जायगी। यह राहत उनकी कुल आमदनी में से ऐसी आयगियों की सीधी कटौती के रूप में दी जायगी, लेकिन राहत की रकम कुल आमदनी के 10 प्रतिशत या 5,000 रुपये से, जो भी कम हो, ज्यादा न होगी।

68. उन विदेशी निवेशकों द्वारा उनकी पूंजी के प्रत्यावर्तन को निरुत्साहित करने के लिए, जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे अपने शेयरों को बेच डालते हैं, यह विचार किया गया है कि जब ऐसे व्यक्ति बिक्री से प्राप्त रकम को स्वीकृत औद्योगिक प्रतिभूतियों (सेक्यूरिटीज) में फिर से लगायें, तो मूल निवेश के लिए पूंजी लाभ कर की छूट उसी अनुपात में दी जाय जिस अनुपात में फिर से रकम लगायी जाय।

69. अनिवासी निर्धारितियों और उन निवासी निर्धारितियों पर, जो साधारणतः निवासी नहीं हैं, कर लगाने के आधारों पर परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ मौजूदा पेचदगियों को दूर करने और करों के बोझ को कम करने के लिए इन निर्धारितियों पर 1965–66 के निर्धारण वर्ष से उन दरों से भारत में उनकी निर्धारण योग्य आमदनी पर कर लगाया जायगा जो निवासियों पर लागू होती है। लेकिन अनिवासियों के मामले में व्यक्तिगत छूटों की रकमें कम नहीं की जायेंगी। उनके मामले में दुनिया भर की आमदनी को हिसाब में लेने के विचार का परित्याग किया जा रहा है। इस मद में राजस्व हानि अधिक नहीं होगी।

70. जहां तक मृत-सम्पत्ति-शुल्क और दान-कर का सम्बन्ध है, मौजूदा रियायतों में से कुछ को बढ़ाने का तथा कुछ ऐसे उपबन्धों में संशोधन करने का मेरा विचार है जिनकी व्याख्या के कारण, मैं देखता हूं कि करदाताओं को व्यर्थ की परेशानी हो रही है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन-काल में कोई सम्पत्ति दान कर देता है तब कुछ अवस्थाओं में, अर्थात् यदि वह व्यक्ति उसे दान करने के बाद दो वर्ष के अन्दर मर जाये या यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले के दो वर्षों के दौरान वह सम्पत्ति उसके अधिकार में हो या वह उस सम्पत्ति का या उससे होने वाले किसी लाभ का भोग करें, तो वह सम्पत्ति उस व्यक्ति के मरने पर उनकी जायदाद में शामिल की जा सकती है। दान-कर और मृत-सम्पत्ति-शुल्क की हमारी मौजूदा दरों का विचार करते हुए, इस स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि दो वर्ष की अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया जाये और इसके अलावा यह व्यवस्था भी कर दी जाये कि यदि पत्नी, पुत्र या अन्य निकट सम्बन्धी को दिये गये सम्पत्ति के दान पर 1964-65 से लागू की गयी दान-कर की बढ़ायी गयी दरों के अनुसार दान-कर अदा कर दिया गया हो, तो वह सम्पत्ति दानकर्त्ता की जायदाद में सम्मिलित न की जाये, बशर्ते कि उसकी मृत्यु दान की तारीख से पांच वर्ष बाद हो। ऐसी व्यवस्था करने का भी मेरा प्रस्ताव है कि यदि दानकर्ता ऐसे मकान में रहे जो उसने अपनी पत्नी, अपने पुत्र या अपने अन्य निकट सम्बन्धी को दान कर दिया हो तथा दान पत्र के अनुसार या किसी समपार्श्विक व्ययन (कोलैटरल डिसपोजिशन) के अनुसार उसके लिए

निवास या किसी लाभ का अधिकार रक्षित न किया गया हो, तो वह सम्पत्ति उसकी जायदाद में शामिल न की जाये, बशर्ते कि दानकर्ता की मृत्यु दान की तारीख से एक वर्ष बाद हो । फिर, जब किसी मृत कर्मचारी के परिवार को सरकार द्वारा या किसी अन्य निकाय द्वारा या नियोजक द्वारा स्थापित और आयकर अधिनियम के अधीन स्वीकृत वार्धक्य-निधि (सुपरएनुएशन फण्ड) से या किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा रक्षित इसी प्रकार की निधि से पेंशन दी जाती है तब पेंशन के पूंजीकृत मूल्य पर मृत-सम्पत्ति-शुल्क लगता है । यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे मामलों में होने वाला कष्ट ऐसी पेंशन को मृत-सम्पत्ति-शुल्क से मुक्त करके रद्द किया जाये । इन व्यवस्थाओं के कारण होने वाली राजस्व-हानि नाममात्र होगी । इसके अलावा, ऐसी व्यवस्था करने का भी मेरा प्रस्ताव है कि किसी दान-पत्र पर दिये गये मुद्रांक शुल्क (स्टैम्प ड्यूटी) की छूट दान-कर में की जाने वाली कटौती के रूप में, कुछ सीमाओं के अन्दर और कुछ शर्तों के अनुसार, दी जाये ।

71. अब मैं बेहिसाबी (अनएकाउण्टेड) आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों की चर्चा करता हूं । जैसा कि मैं ने पहले ही कहा है, अर्थव्यवस्था में इनके कारण बहुत खराबी पैदा होती है । इस दोष को दूर करने की समस्या बहुत जटिल हैं। जोरों से तलाशी लेने आदि की व्यवस्था के अलावा हमने ऐच्छिक उद्घाटन (वोलंटरी डिस्क्लोजर) प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही कई व्यवस्थाएं की हैं । इस प्रकार स्वेच्छा से बतायी गयी रकमों को दण्ड से मुक्त किया जा रहा है। ये उपाय उद्घाटनों को प्रोत्साहित करने में कुछ सफल हुए हैं, विशेषकर ऐसे लोगों द्वारा किये जाने वाले उद्घाटनों को जिन्हें अपेक्षाकृत छोटी और दरमियान आमदनियां बतानी हैं । बड़े पैमाने पर उद्घाटन करने को प्रोत्साहन देने के लिए और ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए, जो अनुचित परेशानी से बचकर इस प्रकार के उद्घाटन करके अपने आप में सुधार करना चाहते हैं, समय समय पर विभिन्न सुझाव दिये गये हैं । मुझे पूरी आशा है कि कर की दरों में कमी करने का मैं ने जो प्रस्ताव किया है उससे भविष्य में कर से बचने की गुंजाइश और प्रलोभन कम हो जायेगा। इस प्रकार जिन लोगों ने पहले कर अपवंचन किया है उन्हें प्रकट होकर अपना दोष स्वीकार करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है । मैं यह बात मानता हूं कि ऐसा हल ढूंढ़ निकालना आसान नहीं है जो उन लोगों के प्रति भी न्यायपूर्ण हो जिन्होंने ईमानदारी से अब तक कर अदा किये हैं और साथ ही इतना युक्तियुक्त भी हो कि जो लोग अपने पहले के कर-अपवंचन से उऋण होना चाहते हैं उन्हें स्वेच्छा से पर्याप्त परिमाण में उद्घाटन करने के लिए प्रोत्साहन मिले । बेहिसाबी आमदनी और सम्पत्ति के मूल्य में जो विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विचार पाये जाते हैं उनका विचार करते हुए मैं ने समस्या का हल ढूंढ़ने का प्रयत्न किया है । मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि जो कुछ करने का मेरा विचार है उससे ईमानदार करदाता को कष्ट नहीं होगा और जो लोग अतीत में पथभ्रष्ट हो गये थे उन्हें नागरिक उत्तरदायित्व के मार्ग पर वापस आ जाने का औचित्य दिखाई देगा ।

72. संक्षेप में मेरा प्रस्ताव यह है । जिन व्यक्तियों के पास बताने के लिए छिपी हुई आमदनी है, वे प्रासंगिक विवरण के साथ इसे प्रकट कर सकते हैं और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक में बिना बतायी आमदनी का 60 प्रतिशत नकदी के रूप में जमा कर सकते हैं । इस प्रकार बतायी हुई आमदनी का 40 प्रतिशत आयकर अधिकारियों को सूचना देकर

[श्री टि० त० कृष्णमाचारी]

निर्धारितियों के खातों में दिखलाया जा सकता है । इस तरह बतायी गयी आमदनी के संबंध में कर-निर्धारण का कोई और प्रश्न नहीं उठेगा और उनका नाम पता आदि प्रकट नहीं किया जायेगा । यह सुविधा अब से तीन महीने के लिए ही, मई के अन्त तक के लिए, उपलब्ध होगी । लोगों को शीघ्रता से अपनी रकमें बताने को प्रोत्साहित करने के लिए बतायी हुई सभी रकमों के कर और उन पर मार्च महीने में दिये हुए कर की 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में, कर की प्रभावी दर 5 प्रतिशत होगी। जो लोग यह समझते हैं कि बतायी जाने वाली रकम के सम्बन्ध में जिनकी कर-सम्बन्धी देनदारी 57 या 60 प्रतिशत से कम होगी उन्हें सामान्य ढंग से अपनी रकम बताने की और इस तरह बतायी रकम पर, आयकर अधिकारियों द्वारा समुचित निर्धारण के बाद उचित दरों पर कर लगवाने की स्वतन्त्रता रहेगी । जिस योजना की रूपरेखा मैं ने अभी बतायी है उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए वित्त-विधेयक में उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं कि हम तलाशियां जारी रखना चाहते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि जो लोग अपनी इच्छा से छिपायी रकमे बताने के इस खास अवसर की उपेक्षा करेंगे उनके साथ पेश आने के लिए वह सभी वैध उपायों से काम ले ।

73. साथ ही, एक बार फिर स्वर्ण बाण्ड जारी करने का मेरा प्रस्ताव है। पिछली बार जब हमने ऐसा बाण्ड जारी किया था तो उसका स्वागत हमारी आशा के अनुरूप नहीं हुआ था । एक बात को छोड़कर, नये बाण्ड बिलकुल पुराने बाण्डों की शर्तों पर जारी किये जायेंगे । पिछले बाण्डों के जारी होने के बाद ब्याज की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए नये बाण्डों के ब्याज की दर 7 प्रतिशत वार्षिक होगी । जिन्होंने पहले क्रमों के स्वर्ण बाण्ड खरीदे थे और राष्ट्रीय संकट के समय सरकार के साथ सहयोग किया था उन्हें भी उनके बाण्डों के चलन के बाकी वर्षों में ब्याज की इसी ऊंची दर का लाभ उठाने दिया जायेगा । जो भी पुराना बाण्ड रिजर्व बैंक में पेश किया जायेगा और उस पर बैंक का सम्मोदन (इम्प्रिमाटर) होगा उस पर पहली अप्रैल 1965 के बाद नयी दर से ब्याज मिलेगा । यहां इतना और बताना चाहूंगा कि इस रियायत को ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि यह एसे सभी मामलों में साधारण रूप से दी जायेगी । मैं ऐसे हर व्यक्ति से, जिसके पास बताया या वगैर बताया हुआ सोना है, अपील करूंगा कि वह नये बाण्डों को अधिक से अधिक संख्या में खरीदे । नये स्वर्ण बाण्ड तीन महीने के लिए अर्थात् मई के अन्त तक बाजार में बिकेंगे ।

सारांश

74. जिन परिवर्तनों के लिए मैंने प्रस्ताव किए हैं उनके सम्पूर्ण प्रभाव का अब मैं सारांश बताता हूं । कर की वर्तमान दरों के आधार पर, 10 करोड़ रुपए की कुल बचत में, अप्रत्यक्ष करों के परिवर्तनों से 1·5 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी । दैनिक उपभोग की बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन शुल्कों में कमी हो जाने से 29·5 करोड़ रुपये की जो राजस्व हानि होगी वह सिगरेटों और टायरों संबंधी, प्राविधिक परिवर्तनों से प्राप्त होने वाले 75 लाख रुपए के राजस्व, ताम्बे, इस्पात की चीजों और टीन की चद्दरों आदि के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से 15·75 करोड़ रुपये की प्राप्ति और सीमा शुल्कों में 14·5 करोड़ रुपये की वृद्धि से बराबर हो जाएगी ।

75. जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, व्यक्तिगत छूटें देने से 3·64 करोड़ रुपये की और दरों में परिवर्तन करने से 20 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। जिससे सम्पूर्ण हानि का जोड़ 23·64 करोड़ हो जाएगा। अर्जित और अनर्जित अधिभारों में हेरफेर होने से 69 लाख रुपये की राजस्व हानि होगी। धारा 104 की कम्पनियों को रियायतें देने से राजकोष को 2·73 करोड़ रुपए की हानि होगी। अन्य विविध रियायतों से होने वाली हानि 2·73 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 1965-66 में 15 करोड़ रुपए की और हानि होगी और वह इस कारण कि इस वर्ष की सभी नयी दरें इस वर्ष की कर योग्य आमदनी और उस आमदनी के संबंध में भी लागू होगी जिस पर कर अग्रिम रूप से दिया जा सकता है। शहरी सम्पत्ति पर लगने वाले सम्पत्ति कर से 1·5 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस तरह प्रत्यक्ष करों के सभी परिवर्तनों से, जिन में निगम करों के परिवर्तन भी शामिल हैं, 1965-66 में कुल 42·90 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

76. अनुमान है कि प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत, सभी साधनों से, 704·05 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इसमें से 42·90 करोड़ रुपये को, उपर्युक्त रियायतों के कारण, हानि के रूप में कम करना पड़ेगा। फिर भी, व्यक्तिगत करों में स्पष्ट कमी और कर संग्रह में सुधार की दृष्टि से मैं 30 करोड़ रुपए जमा कर रहा हूं जिससे प्रत्यक्ष करों के सभी स्रोतों से कुल 691·15 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान है। इस दृष्टि से, बजट की रकम के मुकाबले, प्रत्यक्ष करों में 12·90 करोड़ रुपये की कमी होगी। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष करों में 1·5 करोड़ रुपये का अधिशेष है। इसे और उत्पादन शुल्कों में से राज्यों के हिस्से के परिणाम को हिसाब में लेते हुए राजस्व में 6·38 करोड़ रुपये की हानि होगी, जिस से, करों के वर्तमान स्तरों के आधार पर, होने वाली सम्पूर्ण अधिशेष को मिला कर, 3·72 करोड़ रुपये का वास्तविक अधिशेष रहेगा।

77. ऐच्छिक उद्घाटन योजना (वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम) से होने वाली प्राप्तियों के संबंध में मैंने कोई रकम जमा नहीं की है। वास्तव में मुझे, आशा है कि प्रत्यक्ष करों संबंधी हानि, न केवल साल भर में पूरी हो जायेगी, बल्कि कुछ अधिक की ही प्राप्ति होगी जिसका कारण किये गये परिवर्तनों के परिणामस्वरूप न केवल करों के संग्रह में सुधार होना है बल्कि ऐच्छिक उद्घाटन योजना के अन्तर्गत भी प्राप्तियां होना है। इसलिए आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष का अधिशेष और भी अधिक होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में से राज्यों के हिस्से की रकम में किसी कमी का अनुमान नहीं किया है। दूसरी ओर, आयकर संबंधी राजस्व में राज्यों के हिस्से में जो वृद्धि होगी उससे, मेरी दृष्टि में, उत्पादन-शुल्कों की प्राप्तियों में से राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी न केवल दूरी हो जायेगी बल्कि उन्हें कुछ अधिक रकम की प्राप्ति होगी।

78. मेरे लिये यह कुछ सन्तोष का विषय है कि मैं ऐसा बजट प्रस्तुत करने में समर्थ हूं जिसमें राजस्व औरपूंजी दोनों खातों की दृष्टि से, यदि अधिशेष रहने की नहीं, तो सन्तुलन रहने की पूरी सम्भावना है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों को भी इस बात से ऐसा ही सन्तोष प्राप्त होगा कि आयोजना की आवश्यकताओं के लिये धन की व्यवस्था करते हुये और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में कुछ राहत देते हुए हम एक सन्तुलित बजट पेश करने में समर्थ हो सके हैं। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से और हमारी कर-प्रणाली से प्रभावित सभी व्यक्तियों से अपील करूंगा कि वे प्रस्तुत बजट को इस देश के करों के ढांचे को एक सुदृढ़ और व्यवस्थित आधार पर लाने की हमारी हार्दिक इच्छा का प्रतीक मानें।

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण—क

राजस्व बजट (लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	बजट 1964-65	संशोधित 1964-65	बजट 1965-66
सीमा शुल्क	3,36,37	3,85,00	4,05,00 +14,50*
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	7,69,54	7,73,05	8,27,17 −7,98*
निगम कर	2,96,67	3,42,00	3,86,00 −14,40*
आय सम्बन्धी कर	2,47,28	2,68,00	2,94,00
मृत सम्पत्ति शुल्क	7,40	7,00	7,40
सम्पत्ति कर	10,20	11,05	12,00 +1,50*
व्यय कर	1,55	75	1,55
दान कर	3,10	3,10	3,10
अन्य शीर्षक	21,57	21,93	23,87
ऋण-व्यवस्था	2,52,14	2,65,57	2,96,73
प्रशासनिक सेवायें	8,98	9,13	9,51
सामाजिक और विकास संबंधी सेबायें	28,13	30,40	3,57
बहुप्रयोजनी नदी योजनायें आदि	11	12	13
सरकारी निर्माण कार्य आदि	3,75	3,90	3,94
परिवहन और संचार	6,81	7,14	6,75
मुद्रा और टकसाल	53,73	52,11	61,69
विविध	17,29	21,38	25,47
अंशदान और विविध समायोजन	31,08	32,71	34,81
असाधारण मदें	1,43,31	1,24,62	60,50
घटाइए—आयकर में से राज्यों को दिया जाने वाला अंश	−1,07,49	−1,23,77	−1,22,93
घटाइए—मृतसम्पत्ति शुल्क में से राज्यों को दिया जाने वाला अंश	−7,22	−6,78	−7,17
जोड़	21,24,30	22,28,41	23,53,09 −6,38*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

प्राप्तियां	बजट 1964-65	संशोधित 1964-65	बजट 1965-66
व्यय		(लाख रुपयों में)	
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह . . .	25,34	26,41	28,88
ऋण-व्यवस्था . .	3,18,41	3,17,61	3,56,11
प्रशासनिक सेवाएं . .	81,84	82,17	91,36
सामाजिक और विकास संबंधी सेवायें	1,68,14	1,65,11	1,84,66
बहु-प्रयोजनी नदी योजनायें आदि	1,84	1,33	1,98
सरकारी निर्माण कार्य आदि .	20,21	20,66	22,98
परिवहन और संचार .	10,18	10,37	10,62
मुद्रा और टकसाल . .	17,33	15,36	16,40
विविध . . .	98,51	95,17	1,16,27
अंशदान और विविध समायोजन—			
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान .	2,89,08	2,88,56	3,27,11
केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा . . .	1,40,98	1,27,34	1,40,84
अन्य व्यय . .	4,13	4,32	4,69
असाधारण मदें . .	1,47,52	1,28,04	65,84
रक्षा सेवायें (वास्तविक) .	7,17,80	7,16,81	7,48,74
जोड़ . .	20,41,31	19,99,26	21,16,48
कमी (-) . .	(+) 82,99	(+) 2,29,15	(+) 2,36,61
अधिशेष (+) .			-6,38*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

अंतिम अनुमानों का सारांश

विवरण ख

पूंजी बजट

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	बजट 1964–65	संशोधित 1964–65	बजट 1965–66
राजस्व अधिशेष	82,99	2,29,15	2,36,61
सरकारी ऋण			– 6,38*
भारत में लिया जाने वाला	3,00,00	2,97,70	2,70,00
विदेशों में लिया जाने वाला	6,96,97	6,53,92	6,68,86
ऋणों और अग्रिमों का परिशोध :			
राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	2,38,92	2,31,31	2,73,69
अन्य . .	46,03	70,00	60,00
छोटी बचतें (वास्पविक)	1,25,00	1,35,00	1,35'00
भविष्य निधियां (वास्तविक)	54,29	49,62	54,66
आयकर वार्षिकी जमा (वास्तविक)	67,00	65,00	65,00
पी० एल० 480 संबंधी जमा रकमें (वास्तविक)	—84,84	11,00	1,91,00
रेल तथा डाक तार निधियां (वास्तविक)	43,12	17,81	48,23
विशेष विकास निधि (वास्तविक)	2,97,65	2,75,50	1,43,16
अन्य ऋण जमा आदि (वास्तविक)	1,25,86	51,69	37,74
जोड़	19,92,99	20,87,70	21,83,95
			–6,38*

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	बजट 1964-65	संशोधित 1964-65	बजट 1965-66
व्यय			
राजस्व की कमी			
पूंजीगत व्यय :			
असैनिक	3,86,01	3,42,96	3,59,73
रक्षा	1,36,10	1,17,95	1,30,05
रेलें	2,53,00	2,51,92	2,40,00
डाक और तार	20,59	26,59	32,83
ऋण का परिशोध :			
भारत में लिये जाने वाले	1,92,00	1,91,54	1,70,00
विदेशों में लिये जाने वाले	67,26	85,11	97,29
ऋण और अग्रिम :			
राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र	6,21,71	7,07,92	7,12,07
अन्य	2,38,22	2,71,01	3,51,82
जोड़	19,14,89	19,95,00	20,93,79
जोड़िये—विशेष विकास निधि में ऋण सहायता का काल्पनिक अन्तरण	1,74,78	1,73,00	80,00
जोड़—व्यय	20,89,67	21,68,00	21,73,79
सम्पूर्ण कमी (−)			
अधिशेष (+)	−96,68	−80,30	+10,16 −6,38*
जिसकी पूर्ति			
(i) राजकोष हुण्डियों को बढ़ा कर (+) घटा कर (−)	+96,00	+72,00	−10,00 +7,00
(ii) नकदी रकम में से निकासी करके	+68	8,30	−16 −62*
की जानी है।			
जोड़	96,68	80,30	10,16 +6,38

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव

वित्त विधेयक, 1965

FINANCE BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, 1965–66 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष, 1965–66 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 2 मार्च, 1965/11 फाल्गुन, 1886 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 2, 1965/Phalguna 11, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III---2641(Ai) LS---25-6-65---600.